



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270512  
CG-DL-E-26022026-270512

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947

No. 142]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2026

एफ.सं. बीएस/ XI/11/01/2025-26.— ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 39 के साथ पठित धारा 12 और 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्ववर्ती अनुमोदन से भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ — (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) संशोधन विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 (जिसे इसके पश्चात् मुख्य विनियम कहा गया है), के विनियम 5 में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3) शुल्क का भुगतान अनुज्ञापत्र के अनुदान के समय और वैध अनुज्ञापत्र के संचालन की निरंतरता के लिए अग्रिम रूप से वार्षिक आधार पर किया जाएगा।”

3. मुख्य विनियम के विनियम 6 में, उप-विनियम (14) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात:—

“(15) अनुज्ञाधारी उत्पादन विवरण के साथ देय वार्षिक राशि का भुगतान समयसीमा के भीतर करेगा।”

4. मुख्य विनियम के विनियम 8 में, —

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“अनुज्ञापत्र के संचालन की निरंतरता और उसका नवीकरण”;

(ख) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“(2) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन, ब्यूरो को अनुज्ञापत्र की वैधता की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा, जैसा कि अनुसूची-II में दी गई लागू स्कीम में विनिर्दिष्ट है और शुल्क का भुगतान अनुज्ञापत्र के नवीकरण के समय और नवीकरण के पश्चात वैध अनुज्ञापत्र के संचालन की निरंतरता के लिए अग्रिम रूप से वार्षिक आधार पर किया जाएगा। ”

(ग) उप-विनियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात:—

“(10) किसी वैध अनुज्ञापत्र के संचालन की निरंतरता के लिए वार्षिक आधार पर देय शुल्क का भुगतान अग्रिम रूप से नियत तारीख से पूर्व किया जाएगा, जैसा कि लागू स्कीम में विनिर्दिष्ट है।

(11) यदि उत्पादन विवरण सहित वार्षिक शुल्क नियत तारीख तक प्राप्त नहीं होता है, तो अनुज्ञापत्र का संचालन नियत तारीख से नब्बे दिन की अवधि के लिए या लागू स्कीम में उपबंधित अवधि के लिए निलंबित स्थित रहेगा:

परंतु ऐसी दशा में जब उत्पादन विवरण सहित वार्षिक शुल्क नब्बे दिन की अवधि के भीतर पाँच हजार रुपये के विलंब शुल्क सहित प्राप्त हो जाता है, तो निलंबन निरस्त हो जाएगा:

परंतु यह और कि उत्पादन विवरण सहित वार्षिक शुल्क यदि निलंबन की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो अनुज्ञापत्र रद्द कर दिया जाएगा।

(12) उप-विनियम (10) और (11) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि उत्पादन विवरण सहित वार्षिक शुल्क निलंबन अवधि के नब्बे दिनों के भीतर अदा कर दिया गया है, तो अनुज्ञापत्र का निलंबन तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि नमूनों की अनुरूपता न होने या अन्य अननुपालनों के कारण निलंबन वार्षिक शुल्क भुगतान की नियत तारीख से पूर्व ही पहले से लगाया गया था या लगाया जाना अपेक्षित है और यदि वे विसंगतियाँ जो निलंबन की निरंतरता का कारण बनीं, दूर कर दी जाती हैं, तो ब्यूरो द्वारा निलंबन निरस्त किया जा सकता है।

5. मुख्य विनियम के विनियम 10 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“(3) उप-विनियम (2) के अधीन अनुज्ञापत्र निलंबित करने से पूर्व, अनुज्ञाधारी को इक्कीस दिन की सूचना दी जाएगी, उन मामलों को छोड़कर जहाँ अनुज्ञापत्र वार्षिक शुल्क के भुगतान न होने के कारण निलंबित किया गया है, जिसके लिए विनियम 8 का उपबंध लागू होगा।”

6. मुख्य विनियम के विनियम 11 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“(1) इक्कीस दिन से अत्यून अवधि की सूचना देकर ब्यूरो लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञापत्र रद्द कर सकेगा, यदि-

(क) अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्र की किसी शर्त का अनुपालन करने में विफल रहता है;

(ख) अनुज्ञापत्र त्रुटिवश जारी गया है,

उन मामलों को छोड़कर जहाँ अनुज्ञापत्र उत्पादन विवरण सहित वार्षिक शुल्क के भुगतान न होने के कारण रद्द किया गया है, जिसके लिए विनियम 8 के उप-विनियम (11) का उपबंध लागू होगा।”

7. मुख्य विनियम के विनियम 13 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात:—

“(4) शुल्क का भुगतान अनुरूपता प्रमाणपत्र के अनुदान के समय और पश्चात् उसकी निरंतरता के लिए अग्रिम रूप से वार्षिक आधार पर किया जाएगा।”

8. मुख्य विनियम के विनियम 14 में, उप-विनियम (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात:—

“(12) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक देय वार्षिक राशि का भुगतान उत्पादन विवरण के साथ समयसीमा के भीतर करेगा।”

9. मुख्य विनियम के विनियम 16 में, —

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“अनुरूपता प्रमाणपत्र के संचालन की निरंतरता और उसका नवीकरण”;

(ख) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“(2) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन, ब्यूरो को अनुरूपता प्रमाणपत्र की वैधता की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा, जैसा कि अनुसूची-II में दी गई लागू स्कीम में विनिर्दिष्ट है और शुल्क का भुगतान अनुरूपता प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय और उसके पश्चात् उसकी निरंतरता के लिए अग्रिम रूप से वार्षिक आधार पर किया जाएगा।”

(ग) उप-विनियम (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात:—

“(11) किसी का भुगतान अग्रिम रूप से नियत तारीख से पूर्व किया जाएगा, जैसा कि लागू स्कीम में विनिर्दिष्ट है।

(12) यदि उत्पादन विवरण सहित वार्षिक शुल्क नियत तारीख तक प्राप्त नहीं होता है, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र का संचालन नियत तारीख से नब्बे दिन की अवधि के लिए या लागू स्कीम में उपबंधित अवधि के लिए निलंबित स्थित रहेगा:

परंतु यदि उत्पादन विवरण सहित वार्षिक शुल्क नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पाँच हजार रुपये के विलंब शुल्क सहित प्राप्त हो जाता है, तो निलंबन निरस्त हो जाएगा:

परंतु यह और कि उत्पादन विवरण सहित वार्षिक शुल्क यदि निलंबन की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा।

(13) उप-विनियम (11) और (12) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, यदि उत्पादन विवरण सहित वार्षिक शुल्क निलंबन अवधि के नब्बे दिनों के भीतर अदा कर दिया गया है, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र का निलंबन तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि नमूनों की अनुरूपता न होने या अन्य अननुपालनों के कारण निलंबन वार्षिक शुल्क भुगतान की नियत तारीख से पूर्व ही पहले से लगाया गया था या लगाया जाना अपेक्षित है और यदि वे विसंगतियाँ जो निलंबन की निरंतरता का कारण बनीं, दूर कर दी जाती हैं, तो ब्यूरो द्वारा निलंबन निरस्त किया जा सकता है।”

10. मुख्य विनियम के विनियम 18 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“(3) उप-विनियम (2) के अंतर्गत अनुरूपता प्रमाणपत्र को निलंबित करने से पहले, अनुरूपता प्रमाणपत्र के धारक को इक्कीस दिन का नोटिस दिया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ वार्षिक शुल्क का भुगतान न करने के कारण अनुरूपता प्रमाणपत्र निलंबित माना जाता है, जिसके लिए विनियमन 16 के उप-विनियम (12) के संबंधित प्रावधान लागू होंगे।”

11. मुख्य विनियम के विनियम 19 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“(1) इक्कीस दिन से अन्यून अवधि की सूचना देकर ब्यूरो लिखित आदेश द्वारा अनुरूपता प्रमाणपत्र रद्द कर सकेगा, यदि —

- (क) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक, अनुरूपता प्रमाणपत्र की किसी भी शर्त का अनुपालन करने में विफल रहता है;
- (ख) अनुरूपता प्रमाणपत्र त्रुटिवश जारी गया है,

उन मामलों को छोड़कर जहाँ अनुरूपता प्रमाणपत्र विनियम 16 के उप-विनियम (12) के उपबंधों के अनुसार उत्पादन विवरण सहित वार्षिक शुल्क के भुगतान न होने के कारण रद्द किया गया है।”

12. मुख्य विनियम की अनुसूची-II में, स्कीम-I से पूर्व, निम्नलिखित पैरा प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात:—

“1. इस अनुसूची में उत्पाद (माल अथवा वस्तु), प्रणाली, सेवा तथा प्रक्रिया हेतु दस भिन्न अनुरूपता मूल्यांकन स्कीमें उपबंधित हैं और इन दस स्कीमों में से, सात स्कीमें उत्पादों के अनुरूपता मूल्यांकन के लिए हैं और शेष तीन प्रणाली, सेवा और प्रक्रिया हेतु हैं, हितधारकों (उद्योग और उपभोक्ता दोनों सहित) की आवश्यकताओं और विनियामक उद्देश्यों पर निर्भर करते हुए, तकनीकी विनियमों या गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अधीन अधिसूचित उत्पादों के लिए प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय बाजार में जोखिम और व्यापार प्रथाओं जैसे पहलूओं पर विचार करते हुए उपयुक्त स्कीमें चुनी जाती हैं।

2. उत्पाद के लिए सात स्कीमों को मोटे तौर पर नीचे दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो ब्यूरो द्वारा प्रमाणन के अनुदान हेतु अनुरूपता निर्धारण में शामिल तत्वों के आधार पर है:

क्र.सं.	प्रवर्ग	प्रासंगिक स्कीमें
1.	साइट पर मूल्यांकन सहित	स्कीम-I, स्कीम-IV, स्कीम-V, स्कीम-IX और स्कीम-X
2.	साइट पर किसी मूल्यांकन के बिना	स्कीम-II और स्कीम-VII".

### 13. मुख्य विनियमों की अनुसूची-II में,—

(क) स्कीम-I में,—

(i) पैरा 8 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:—

“अनुज्ञापत्र की वैधता

8. (1) मानक मुहर के प्रयोग का अनुज्ञापत्र आरंभ में पाँच वर्ष तक के लिए अनुदत्त किया जाएगा;

(2) अनुज्ञापत्र का नवीकरण पाँच वर्ष तक की और अवधि के लिए किया जा सकेगा;

(3) अपेक्षित शुल्क का भुगतान अग्रिम रूप से वार्षिक आधार पर नियत तारीख से पूर्व किया जाएगा और नियत तारीख से पूर्व उत्पादन विवरण सहित वार्षिक शुल्क के भुगतान न होने की दशा में, जिसके लिए विनियम 8 का उपबंध लागू होगा।”

(ii) पैरा 11 में, उप-पैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“(6) इक्कीस दिन की सूचना जारी करने के पश्चात ब्यूरो अनुज्ञापत्र निलंबित कर सकेगा और अनुज्ञाधारी को अपने उत्पाद पर मानक मुहर का प्रयोग न करने का निर्देश दे सकेगा, जब आवेदक द्वारा अपेक्षित शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, उन मामलों को छोड़कर जहाँ अनुज्ञापत्र वार्षिक शुल्क के भुगतान न होने के कारण निलंबित किया जाएगा, जिसके लिए विनियम 8 का उपबंध लागू होगा।”;

(ख) स्कीम-II के स्थान पर निम्नलिखित स्कीम प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:—

#### “स्कीम-II

मालों और वस्तुओं के लिए भारतीय मानक या उत्पाद हेतु अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों के अनुरूपता के स्व-घोषणा पर आधारित पंजीकरण के माध्यम से मानक मुहर के प्रयोग या लगाने हेतु अनुज्ञापत्र अनुदत्त करने की अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम (स्कीम टाइप सी पर आधारित, यथानुसूची-I)

विस्तार

1. (1) इस स्कीम के अधीन, जो टाइप सी पर आधारित है, किसी विनिर्माण परिसर में विनिर्मित और सम्बंधित भारतीय मानकों या उत्पाद हेतु अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप वस्तुओं या आलेखों ( जिन्हे इसके पश्चात् उत्पाद कहा गया है ) के लिए मानक मुहर के प्रयोग या लगाने हेतु अनुज्ञापत्र, अनुरूपता के स्व-घोषणा पर आधारित पंजीकरण के माध्यम से ब्यूरो द्वारा अनुदत्त किया जा सकेगा।

\*स्पष्टीकरण 1.-\* उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए विनिर्माण परिसर में ऐसे अन्य परिसर सम्मिलित हो सकते हैं, जो आवेदक के स्वामित्व वाले हों या अन्यथा, जहाँ विनिर्माण क्रियाकलाप का एक भाग होता है और इसमें वह परिसर सम्मिलित है जहाँ अंतिम विनिर्माण क्रियाकलाप किया जाता है और जहाँ मानक मुहर का प्रयोग या लगाया जाना है

\*स्पष्टीकरण 2.-\* आवश्यक अपेक्षाएं सम्बंधित भारतीय मानक में दी जा सकती हैं या उत्पाद हेतु या दोनों के लिए अधिसूचित की जा सकती हैं।

(2) अनुज्ञापत्र का अनुदान और उसका संचालन पैरा 3 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

#### परिभाषाएं

2. (1) "तृतीय पक्ष प्रयोगशाला" से ब्यूरो द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त या सरकारी प्रयोगशालाएँ, जैसा भी मामला हो, ब्यूरो द्वारा पैनेलबद्ध / सूचीबद्ध या ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णित कोई अन्य प्रयोगशाला अभिप्रेत है

#### स्कीम की प्रक्रियाएँ

3. (1) चयन:- (क)- विनिर्माता निम्नलिखित की पहचान करेगा —

(i) भारतीय मानक या उत्पाद हेतु अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाएँ या दोनों जो उस उत्पाद पर लागू होते हैं जिसके लिए वह अनुज्ञापत्र प्राप्त करने का आशय रखता है;

(ii) विनिर्माण और परीक्षण क्षमताएँ और उपलब्धता की पुष्टि करना; तथा

(iii) प्रयोग किए जाने वाले मॉडल संख्या और ब्रांड नाम;

(ख) विनिर्माता अनुज्ञापत्र के इच्छित विस्तार और प्रतिचयन दिशानिर्देशों से उत्पाद के परीक्षण हेतु आवश्यक नमूने की न्यूनतम संख्या सुनिश्चित करेगा;

(ग) विनिर्माता अनुरूपता की स्व-घोषणा पर आधारित पंजीकरण के माध्यम से अनुज्ञापत्र के अनुदान हेतु इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-I में प्रत्येक उत्पाद के लिए पृथक रूप से आवेदन कर सकेगा;

(घ) प्रत्येक ब्रांड नाम के लिए पृथक आवेदन किया जाएगा, जब तक कि ब्रांड नाम स्वामी एक ही न हो;

(ङ) विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पाद का भारतीय मानक या उत्पाद हेतु अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों की सभी अपेक्षाओं के विरुद्ध अनुरूपता के लिए परीक्षण किया जा चुका है और इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-II के अनुसार प्रतिज्ञा प्रस्तुत करेगा तथा तृतीय पक्ष प्रयोगशाला द्वारा जारी परीक्षण प्रतिवेदन उस उत्पाद के लिए उपलब्ध प्रतिचयन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करेगा;

(च) विनिर्माता अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (6) और (7) तथा धारा 31 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-III क, ख या ग, लागू होने के अनुसार, शपथपत्र प्रस्तुत करेगा;

(छ) विदेशी विनिर्माताओं की दशा में, इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-IV के अनुसार एक भारतीय प्रतिनिधि नामांकित किया जाएगा और नामांकित भारतीय प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (6) और (7) तथा धारा 31 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-III क, ख या ग, लागू होने के अनुसार, शपथपत्र प्रस्तुत करेगा; तथा

(झ) अनुज्ञापत्र की शर्तों एवं नियमों की स्वीकृति।

(2) निर्धारण:- ब्यूरो किसी आवेदन की प्राप्ति पर आवेदन में दी गई सूचना की पूर्णता की जाँच करेगा और तृतीय पक्ष प्रयोगशाला से प्राप्त उत्पाद के परीक्षण परिणामों की उनकी शुद्धता और भारतीय मानक या उत्पाद हेतु अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों के साथ अनुरूपता के लिए जाँच की जाएगी।

(3) समीक्षा:- आवेदन की समीक्षा की जाएगी और तृतीय पक्ष प्रयोगशाला से प्राप्त उत्पाद के परीक्षण परिणामों की, उनकी शुद्धता और भारतीय मानक या उत्पाद हेतु अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों के साथ अनुरूपता के लिए समीक्षा की जाएगी।

(4) विनिश्चय:- अनुरूपता के स्व-घोषणा पर आधारित पंजीकरण के माध्यम से अनुज्ञापत्र अनुदत्त करने पर विनिश्चय ब्यूरो द्वारा तब लिया जाएगा जब आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन यह इंगित करता है कि विनिर्माता के पास निरंतर आधार पर

गुणवत्ता वाले उत्पादों के विनिर्माण के लिए आवश्यक अवसंरचना है और परीक्षण परिणाम उत्पाद की संबंधित भारतीय मानक या उत्पाद हेतु अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों के साथ अनुरूपता तथा समीक्षा के संतोषजनक परिणाम को इंगित करते हैं।

(5) प्रमाणन:- अनुरूपता के स्व-घोषणा पर आधारित पंजीकरण के माध्यम से अनुज्ञापत्र अनुदत्त करने का विनिश्चय लेने पर ब्यूरो, अनुज्ञापत्र का विस्तार, अनुज्ञापत्र संख्या, विनिर्माता का पता, ब्रांड-नाम, मॉडल संख्या, अनुज्ञापत्र की वैधता, भारतीय मानक या उत्पाद हेतु अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों का विवरण, मानक मुहर की प्रतिकृति दर्शाने वाला एक दस्तावेज विनिर्माता को इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-V में जारी करेगा।

(6) अनुवीक्षण:- (क) ब्यूरो बाजार या पारवहन से नमूने ले सकेगा और ऐसे नमूनों को परीक्षण अनुरोध सहित परीक्षण हेतु तृतीया पक्ष प्रयोगशाला को भेज सकेगा।

(ख) यदि बाजार नमूना लेना किसी कारणवश संभव नहीं है, तो नमूने प्रेषण बिंदु से लिए जा सकते हैं और ब्यूरो अधिमानतः संगठित केताओं से प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकेगा।

### शिकायते

4. (1) ब्यूरो मानक मुहर वाले उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत को स्वीकार करेगा और उसकी जाँच करेगा।

(2) शिकायत के निपटान की कार्यवाही नब्बे दिनों के भीतर पूरी की जाएगी, उत्पाद के परीक्षण से संबंधित परीक्षण समय को छोड़कर, जहाँ उत्पाद का परीक्षण शामिल है।

### शुल्क

5. (1) आवेदन शुल्क, वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क और नवीकरण आवेदन शुल्क एक हजार रुपये प्रति होगा।

(2) वार्षिक आधार पर अग्रिम रूप से देय संसाधन शुल्क अनुज्ञापत्र के अनुदान और अनुज्ञापत्र के संचालन की निरंतरता के लिए प्रति आवेदन पच्चीस हजार रुपये होगा।

(3) एक से अधिक परीक्षण प्रतिवेदन वाले आवेदनों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त परीक्षण प्रतिवेदन के लिए बीस हजार रुपये की दर से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा और शुल्क का भुगतान अग्रिम रूप से किया जाएगा।

(4) आवेदक अनुज्ञापत्र की वैधता के नवीकरण और अनुज्ञापत्र के संचालन की निरंतरता के समय वार्षिक आधार पर अग्रिम रूप से पच्चीस हजार रुपये का संसाधन शुल्क अदा करेगा।

(5) जब नवीकरण के लिए दो वर्ष से अधिक की अवधि हेतु आवेदन किया जाता है, तो प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए पच्चीस हजार रुपये का शुल्क लिया जाएगा और शुल्क का भुगतान अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि के लिए वार्षिक रूप से अग्रिम किया जाएगा।

(6) राजपत्र में भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) संशोधन विनियम, 2026 के प्रकाशन की तारीख से और 31 मई, 2029 तक, सूक्ष्म उद्यमों या स्टार्ट-अप के संबंध में संसाधन शुल्क में रियायत अस्सी प्रतिशत, लघु उद्यमों के संबंध में पचास प्रतिशत और मध्यम उद्यमों के संबंध में बीस प्रतिशत होगी, और 1 जून, 2029 की तारीख से प्रभावी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में संसाधन शुल्क में रियायत बीस प्रतिशत होगी।

\*स्पष्टीकरण 1:-\* इस उप पैरा के प्रयोजन के लिए, "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम" पद का वही अर्थ होगा जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में उसे प्रदत्त है।

\*स्पष्टीकरण 2:-\* स्टार्ट-अप का वही अर्थ होगा जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में उसे प्रदत्त है।

(7) नई किस्मों या मॉडलों के समावेश या अनुज्ञापत्र के विस्तार के विस्तार हेतु आवेदन की दशा में, प्रति आवेदन तीस हजार रुपये की राशि ती जाएगी।

(8) अनुवीक्षण या शिकायत जाँच के लिए लिए गए नमूनों की लागत और उनके परीक्षण शुल्क का भुगतान आवेदक या अनुज्ञाधारी द्वारा किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

(9) अनुज्ञापत्र के अनुदान के पश्चात्, नाम, पता, प्रबंधन, भारतीय प्रतिनिधि या ई-मेल या संपर्क विवरण में परिवर्तन या अनुज्ञापत्र के विस्तार में मॉडल वापसी, अनुज्ञापन के विस्तार में मॉडलों के महत्वपूर्ण घटक का अद्यतनीकरण जैसी कोई भी सेवा अनुरोध, प्रत्येक अनुरोध के लिए पाँच हजार रुपये के शुल्क के भुगतान पर किया जाएगा।

#### अंकन और चिह्नांकन अपेक्षाएँ

6. (1) प्रत्येक उत्पाद या पैकेज, या दोनों पर, इस स्कीम के साथ उपाबंध-I के रूप में संलग्न मानक मुहर के प्रयोग हेतु दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट मानक मुहर या ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त अंकन और चिह्नांकन अपेक्षाओं से अंकित किया जाएगा।

(2) मानक मुहर के माप इस स्कीम के साथ संलग्न उपाबंध-II में विनिर्दिष्ट होंगे।

(3) मानक मुहर की रंग स्कीम इस स्कीम के साथ संलग्न उपाबंध-III के अनुसार होगी।

(4) मानक मुहर पर अनुज्ञापत्र संख्या और भारतीय मानक या उत्पाद हेतु अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों का संदर्भ दृश्यमान तरीके से अंकित होगा और यह अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(5) यदि अनुज्ञापत्र संख्या मानक मुहर के नीचे नहीं रखी जा सकती है, तो इसे मानक मुहर के समीप रैखिक तरीके से उपयुक्त रूप से रखा जाएगा।

(6) उत्पाद विवरण, भारतीय मानक या उत्पाद हेतु अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों की अपेक्षा के अनुसार, जिसमें किस्म, मॉडल संख्या, लॉट या बैच संख्या, विनिर्माण की तारीख या सप्ताह, विनिर्माता का पूरा पता सम्मिलित हो सकता है, उत्पाद या पैकेजिंग पर या उत्पाद से जुड़े लेबल में अंकित किया जाएगा।

(7) चिह्नांकन विवरण में मानक मुहर वाले उत्पाद की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए ब्यूरो की वेबसाइट का संदर्भ होगा।

(8) यदि ब्यूरो द्वारा अपेक्षित हो, तो मानक मुहर के अतिरिक्त, अनुज्ञाधारी उत्पाद या पैकेज पर "अनुरूपता की स्व-घोषणा" शब्दों के पश्चात् प्रासंगिक भारतीय मानक संख्या या उत्पाद हेतु अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों का संदर्भ अंकित करेगा।

(9) किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए, अतिरिक्त अंकन और चिह्नांकन अपेक्षाएँ ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है, जिनका अनुज्ञाधारी अनुपालन करेगा।

#### अनुज्ञापत्र की शर्तें

7. अनुज्ञापत्र की शर्तें वैसी ही होंगी जैसी इन विनियमों के विनियम 6 में उपबंधित है।

### अनुज्ञापत्र की वैधता

8. (1) मानक मुहर के प्रयोग का अनुज्ञापत्र आरंभ में पाँच वर्ष तक के लिए अनुदत्त किया जाएगा।
- (2) अनुज्ञापत्र का नवीकरण पाँच वर्ष तक की और अवधि के लिए किया जा सकेगा।
- (3) अपेक्षित शुल्क का भुगतान अग्रिम रूप से वार्षिक आधार पर नियत तारीख से पूर्व किया जाएगा। नियत तारीख से पूर्व उत्पादन विवरण सहित वार्षिक शुल्क के भुगतान न होने की दशा में, विनियम 8 के अधीन प्रासंगिक उपबंध लागू होंगे।

### अनुज्ञापत्र का नवीकरण

9. (1) मानक मुहर के प्रयोग हेतु अनुज्ञापत्र के नवीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति के तीन माह पूर्व ब्यूरो को इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-VI में किया जाएगा।
- (2) ब्यूरो इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-VII में अनुज्ञापत्र का नवीकरण करेगा।
- (3) अनुज्ञापत्र का नवीकरण इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार किया जाएगा।

### अनुज्ञापत्र के विस्तार में परिवर्तन

10. (1) मानक मुहर के प्रयोग हेतु अनुज्ञापत्र के विस्तार में परिवर्तन हेतु आवेदन ब्यूरो को इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप-VIII क, ख, लागू होने के अनुसार, किया जाएगा।
- (2) अनुज्ञापत्र के क्षेत्र विस्तार हेतु, आवेदन पर अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत उत्पाद के पूर्ण परीक्षण प्रतिवेदन, जो तृतीय पक्ष प्रयोगशाला द्वारा जारी किया गया है, के आधार पर विचार किया जा सकेगा।
- (3) ब्यूरो अनुज्ञापत्र के विस्तार में इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप -IX क, ख, लागू होने के अनुसार, संशोधन कर सकेगा।

### निलंबन

11. (1) अनुज्ञाधारी स्वेच्छा से ब्यूरो को सूचित करते हुए मानक मुहर का प्रयोग निलंबित कर देगा, यदि किसी भी समय उत्पाद की भारतीय मानक या उत्पाद हेतु अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों के साथ अनुरूपता बनाए रखने में कठिनाई होती है।
- (2) जैसे ही न्यूनताएं दूर हो जाती हैं, चिहनांकन पुनः आरंभ किया जा सकेगा और ऐसे पुनः आरंभ किए जाने की सूचना तुरंत लेकिन पुनः आरंभ किए जाने की तारीख से सात दिनों के भीतर, ब्यूरो को भेजी जाएगी।
- (3) अनुज्ञाधारी स्वेच्छा से विनिर्माण इकाई के नए पते पर स्थानांतरण के कारण ब्यूरो को सूचित करते हुए मानक मुहर का प्रयोग निलंबित कर देगा।
- (4) सभी कार्रवाई पूरी होने के पश्चात् ब्यूरो को अपेक्षित शुल्क सहित सूचित किया जाएगा।
- (5) निलंबन का निरसन, ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने पर किया जा सकेगा।
- (6) ब्यूरो इक्कीस दिन की सूचना जारी करने के पश्चात् अनुज्ञापत्र निलंबित कर सकेगा और अनुज्ञाधारी को अपने उत्पाद पर मानक मुहर का प्रयोग न करने का निर्देश दे सकेगा, जब आवेदक द्वारा अपेक्षित शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, उन मामलों को छोड़कर जहाँ अनुज्ञापत्र वार्षिक शुल्क के भुगतान न होने के कारण निलंबित हो जाएगा, जिसके लिए विनियम 8 के अधीन प्रासंगिक उपबंध लागू होंगे।

(7) ब्यूरो उप- पैरा (6) के अधीन जारी निलंबन देय राशि की प्राप्ति पर निरस्त कर सकेगा।

#### अनुज्ञापत्र का रद्दीकरण

12. (1) ब्यूरो इन विनियमों के विनियम 11 के अनुसार अनुज्ञापत्र रद्द करेगा।

(2) यदि किसी भी समय, ब्यूरो के पास पर्याप्त साक्ष्य है कि मानक मुहर वाला उत्पाद संबंधित भारतीय मानक या उत्पाद हेतु अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों के अनुरूप नहीं है, तो ब्यूरो अनुज्ञाधारी को सूचना देने के पश्चात् अनुज्ञापत्र रद्द कर सकेगा, उन मामलों को छोड़कर जहाँ अनुज्ञापत्र विनियम 8 के उप-विनियम (11) के उपबंधों के अनुसार उत्पादन विवरण सहित वार्षिक शुल्क के भुगतान न होने के कारण रद्द हो जाएगा।

(3) अनुज्ञाधारी या उसका प्रतिनिधि रद्दीकरण की तारीख के पश्चात् मानक मुहर वाले उत्पाद की आपूर्ति, आयात और विक्रय बंद कर देगा।

#### उपाबंध-I

(स्कीम II के पैरा 6 के उप पैरा (1) का संदर्भ)

#### मानक मुहर के प्रयोग हेतु दिशानिर्देश

'मानक मुहर का चिह्न उपाबंध II और III में दिए गए चित्र में बताई गई शैली में बनाए गए सचित्र निरूपण से मिलकर बना है और निम्नलिखित शर्तों पर इसका फोटोग्राफिक लघुकरण और आवर्धन अनुमत है. अर्थात:-

(i) 'मानक मुहर' को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एकल रंग या बहु-रंग में प्रदर्शित किया जा सकता है। बहु-रंग में प्रयोग किए जाने वाले मानक मुहर के लिए रंग स्कीम नीचे बताए अनुसार प्रयोग की जाएगी;

(ii) अनुज्ञाधारी 'मानक मुहर को इस प्रकार प्रदर्शित करेगा कि वह वस्तु या पैकेजिंग पर या किसी विशेष उत्पाद के लिए ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार आसानी से दिखाई दे;

(iii) मानक मुहर सुपाठ्य, अमिट और अनिवार्य होगा और चिह्नांकन की स्थायित्व संबंधित भारतीय मानक या उत्पाद हेतु अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों के उपबंधों के अनुसार होगी, जहाँ भी लागू हो;

(iv) भारतीय मानक या उत्पाद हेतु अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों का संदर्भ, पंजीकरण संख्या और शब्दों का प्रदर्शन एरियल फॉन्ट आकार 6 से कम नहीं होगा; तथा


(v) एकीकृत प्रदर्शन स्क्रीन वाला एक उपकरण उत्पाद पर भौतिक प्रस्तुति के स्थान पर मानक मुहर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से (ई-अंकन) प्रस्तुत कर सकता है।

## उपाबंध-II

(स्कीम II के पैरा 6 का उपपैरा (2) का संदर्भ)

अनुरूपता (एसडीओसी) मुहर की स्वघोषणा के लिए मापन

सभी आयाम मिलिमीटर में



एच1	200
एच2	100
एच3	39.3
एच4	21.6
एच5	17.7
एल1	91.0
एल2	84.3
एल3	25.2
एल4	40.4
एल5	3.36
डी1	23.5
डी2	23.5
डी3	7.52
डी4	19.6
डी5	42.4
डी6	8.57
बी1	240.49
बी2	175.48
बी3	66.26
बी4	12.00
बी5	8.24

बहुरंगीय मानक मुहर के लिए रंग आयोजना - लाल, नीला और काला

क) मुद्रण के लिए रंग आईएस 1222:1992 के अनुसार 'इंक, डुप्लिकेटिंग फॉर टिवन सिलिंडर रोटरी मशीनरी (तीसरा पुनरीक्षण)' के अनुसार 'ओरियंटल ब्लू' और 'मोनोपोलरेड' रहेगा।

ख) साईन बोर्ड के लिए रंग आईएस 5 : 1994 "तैयार मिश्रित पेन्ट एवं अनेमल हेतु रंग (चौथा पुनरीक्षण)" के अनुसार "फ्रेंच ब्लू (सं.166) रेड (सं.537)" रहेगा।

एकल रंग मानक मुहर हेतु रंग के चयन पर कोई रोक नहीं है।

प्रयुक्त फॉन्ट स्टाइल एवं प्रयुक्त साइज़ एरियल-85 प्वाइंट होगा।

ऊपर दिए गए आईएस संख्या और अनुज्ञापत्र संख्या केवल उदाहरण हैं। कृपया प्रत्येक उत्पाद के लिए आईएस संख्या के प्रदर्शन हेतु तारीख 01 दिसंबर 2015 की राजपत्र अधिसूचना का. आ. 3240(अ) भी देखें।

उपाबंध-III  
(स्कीम II के पैरा 6 का उपपैरा (3) का संदर्भ)  
'मानक मुहर' की रंग स्कीम

**IS** -----



**R - XXXXXXXXX**

## प्ररूप-1

(स्कीम II के पैरा 3 के उप-पैरा (1) का खंड (ग) देखें)

अनुरूपता के लिए स्वघोषणा के आधार पर रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन

माह, तारीख, वर्ष

1. आवेदक का नाम (द्वारा विनिर्मित उत्पाद):

2. विनिर्माण इकाई का पता (द्वारा विनिर्मित उत्पाद) (विनिर्माण परिसर का नाम और पते के प्रमाणीकरण के लिए दस्तावेज संलग्न करें)

पता:

राज्य / देश:

पिन:

ई-मेल:

टेली. : [टेलीफोन नंबर के साथ एसटीडी कोड दिया जाए (देश और क्षेत्र का कोड)]

फैक्स : [फैक्स नंबर के साथ एसटीडी कोड दिया जाए (देश और क्षेत्र का कोड)]

3. कार्यालय का पता:

राज्य / देश:

पिन:

ई-मेल:

टेली. : [टेलीफोन नंबर के साथ एसटीडी कोड दिया जाए (देश और क्षेत्र का कोड)]

फैक्स: [फैक्स नंबर के साथ एसटीडी कोड दिया जाए (देश और क्षेत्र का कोड)]

4. विनिर्माण इकाई का शीर्ष प्रबंधन (विधिवत् प्रमाणित एक शीट अलग से संलग्न करें, यदि अपेक्षित हो):

क्रम.सं.	नाम	पदनाम

5. विनिर्माण इकाई का तकनीकी प्रबंधन (विधिवत् प्रमाणित एक शीट अलग से संलग्न करें, यदि अपेक्षित हो):

क्रम.सं.	नाम	पदनाम

6. विनिर्माण इकाई का संपर्क व्यक्ति:

नाम	पदनाम	मोबाइल नं.	लैंडलाइन नं.	ई-मेल आईडी

7. विनिर्माता द्वारा नामित भारतीय प्रतिनिधि का विवरण:

(हमारा भारत में संपर्क कार्यालय / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय स्थित है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है):

या

हमारा भारत में संपर्क कार्यालय / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय स्थित नहीं है किंतु भारत में स्थित सामान पर लगने वाले ट्रेडमार्क / ब्रांड का कोई स्वामी / संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय / सहायक फर्म / रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता है; जिनका विवरण निम्नलिखित हैं:

या

हमारा भारत में संपर्क कार्यालय / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय स्थित नहीं है और भारत में समान पर लगने वाले ब्रांड/ट्रेडमार्क का कोई स्वामी / रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय / संपर्क कार्यालय भी स्थित नहीं है। इसलिए, हम नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, ब्रांड स्वामी और/या निर्माता के साथ विपणन समझौता करके प्रमुख आयातक / वितरक / संस्था को अपना प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि नामित करते हैं:)

फर्म का नाम:

फर्म का पता:

हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

पदनाम:

ई-मेल आईडी:

मोबाइल नं.:

कार्यालय टेलीफोन नं.:

8. यह आवेदन किस अनुज्ञप्ति को प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है:

(क) भारतीय मानक अथवा उत्पाद के लिए अधिसूचित अनिवार्य अपेक्षाओं या दोनों:

(ख) उत्पाद श्रेणी:

(ग) उत्पाद का नाम:

मॉडल सं.	ब्रांड का नाम

9. पिछले अनुज्ञप्ति(यों) का विवरण:

अनुज्ञप्ति सं.	स्थिति (समाप्त / निरस्त / प्रचालित / स्थगित)	टिप्पणी

10. घटकों / कच्ची सामग्रियां: घटकों की सूची / कच्चे माल का परीक्षण और स्वीकृति के साथ भारतीय मानक में निर्दिष्ट अपेक्षाओं या उत्पाद के लिए अधिसूचित अनिवार्य अपेक्षाओं अथवा दोनों के अनुसार परीक्षण की व्यवस्था और स्वीकार किए गए घटकों / कच्ची सामग्री की सूची नीचे दी गई है (विधिवत प्रमाणित, अलग शीट संलग्न करें, यदि अपेक्षित हो):

वस्तु/भाग का नाम	विनिर्माता/ब्रांड	मॉडल नं.	तकनीकी डेटा / रेटिंग	परीक्षण के लिए मानक	अनुरूपता की मुहर (₹)

11. विनिर्माण - क्या निर्माण इकाई के पास उस उत्पाद तथा उसके मॉडलों एवं श्रृंखला के लिए, जिनके लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है, पूर्ण विनिर्माण सुविधा उपलब्ध है? : हां / नहीं  
(यदि 'नहीं', तो आउटसोर्स की गई विनिर्माण प्रक्रियाओं का विवरण प्रदान करें)

12. परीक्षण - क्या भारतीय मानक या उत्पाद के लिए अधिसूचित अनिवार्य अपेक्षाओं अथवा दोनों के अनुसार उत्पाद की अनुरूपता को जांचने के लिए विनिर्माण इकाई में इन-हाउस पूर्ण परीक्षण सुविधा है? : हां/नहीं (यदि 'नहीं', तो उन परीक्षणों का विवरण प्रदान करें जिनके लिए इन-हाउस परीक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा यह भी बताएं कि इन परीक्षणों की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है।)

13. जिस उत्पाद के अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है, उसकी परीक्षण रिपोर्टों का विवरण:

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	परीक्षण रिपोर्ट संख्या	परीक्षण रिपोर्ट जारी करने की तारीख	मॉडल संख्या	ब्रांड

14. भुगतान विवरण:

राशि (रु. में)	भुगतान गेटवे रसीद संख्या	भुगतान रसीद की तारीख	टिप्पणी

15. घोषणा और स्वीकृति

(क) ब्रांड के नाम

ब्रांड के नाम/ट्रेडमार्क जो अनुज्ञप्ति वाले उत्पाद पर अंकित होंगे (ब्रांड के नाम/ट्रेडमार्क के वास्तविक डिज़ाइन का चित्रण प्रदान करें)	स्वयं या दूसरों के स्वामित्व में*	क्या ब्रांड का नाम/ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीकृत है? i. भारत में रजिस्ट्रीकृत ii. भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत iii. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदित iv. अरजिस्ट्रीकृत	रजिस्ट्रीकरण/प्रवर्तन की तारीख

ब्रांड रजिस्ट्रीकरण प्रमाणन की प्रति भी प्रदान की जाए।

\*यदि उपर्युक्त उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किए जा रहे ब्रांड नाम/ट्रेडमार्क किसी अन्य संस्था (विनिर्माता/आवेदक के अलावा) के स्वामित्व में हैं, तो ब्रांड स्वामी द्वारा विनिर्माता को अपने ब्रांड के उपयोग की अनुमति देने हेतु जारी किए गए समझौते/प्राधिकार की प्रति भी प्रस्तुत की जाए।

(ख) नियम और शर्तें

मैं/हम, अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने पर:

- यह सुनिश्चित करेंगे कि मानक मुहर का डिज़ाइन अनुज्ञप्ति में दिए गए प्रतिरूप के बिल्कुल समान हो।
- यह अनुपालन करेंगे कि मानक मुहर का फोटोग्राफिक बड़ा या छोटा रूप भी उपयोग किया जा सकता है, जब तक कि ब्यूरो द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।
- अधिनियम के उपबंधों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों का सदैव पालन करेंगे।
- उन वितरकों, डीलरों या खुदरा विक्रेताओं की सूची उपलब्ध कराएंगे, जिन्हें मानक मुहर युक्त वस्तुओं या उत्पादों की आपूर्ति की जाती है।
- जिन वस्तुओं, लेखों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों या सेवाओं के संबंध में मानक मुहर प्रयुक्त या लागू की गई है, उस भारतीय मानक अथवा उत्पाद के लिए अधिसूचित अनिवार्य अपेक्षाओं या दोनों से अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होंगे।
- ब्यूरो/केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार लिए गए नमूनों की लागत तथा उनके परीक्षण शुल्क का वहन करेंगे।

- (vii) अनुज्ञप्ति के विषय-क्षेत्र से बाहर या गैर-अनुरूप माल, सामग्री, प्रक्रियाओं, प्रणालियों या सेवाओं के संबंध में मानक मुहर का उपयोग नहीं करेंगे।
- (viii) जिस अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है, उसके सभी प्रावधानों का, जिसमें लेबलिंग और मुहरांकन की अपेक्षाएं शामिल हैं, पालन करेंगे।
- (ix) यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुज्ञप्ति के निलंबन की अवधि के दौरान अथवा उसकी समाप्ति/निरस्तीकरण होने के बाद, किसी भी वस्तु, सामग्री, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा और किसी आपूर्ति, आयात या बिक्री के संबंध में मानक मुहर का उपयोग नहीं हुआ है।
- (x) गैर-अनुरूप माल या सामग्री की आपूर्ति और बिक्री रोकना सुनिश्चित करेंगे तथा पहले से आपूर्ति की गई या बिक्री हेतु प्रस्तुत की गई ऐसी गैर-अनुरूप वस्तुएं जिन पर यह मुहर लगी हो, को बाजार या किसी भी ऐसे स्थान से, जहाँ से उनके बिक्री हेतु प्रस्तुत किए जाने की संभावना हो, वापस मंगाएंगे अथवा सेवा प्रदान करना प्रतिबंधित करेंगे।
- (xi) यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि हम या हमारे प्रतिनिधि द्वारा मानक मुहर या उसके किसी भी भ्रामक नकल से युक्त ऐसे सामान, वस्तुएँ, प्रक्रियाएँ, प्रणालियाँ या सेवाएँ बेची गई हैं जो संबंधित मानक के अनुरूप नहीं हैं, तो ब्यूरो हमें या हमारे प्रतिनिधि को निम्नलिखित के लिए निर्देश दे सकेगा—
- (क) विनिर्दिष्ट प्रकार से मानक मुहर युक्त सामान, वस्तु, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा की मरम्मत, प्रतिस्थापन या पुनःप्रसंस्करण करना; या
- (ख) ब्यूरो द्वारा विहित किए गए के अनुसार उपभोक्ता को प्रतिकर देना; या
- (ग) ऐसे गैर-अनुरूप सामान, वस्तु, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा से हुई क्षति के लिए ब्यूरो द्वारा विहित रीति से उपभोक्ता को मुआवज़ा देना।
- (xii) अपने परिसर में निरीक्षण या ऑडिट किए जाने के संबंध में ब्यूरो को समस्त सहायता प्रदान करेंगे और इस सहायता में प्रमाणन अधिकारी द्वारा चिन्हित एवं सील किए गए नमूनों को निर्दिष्ट कार्यालय या प्रयोगशाला में भेजना तथा निरीक्षण, ऑडिट या मूल्यांकन की तारीख से सात दिनों के भीतर ऐसे नमूने का प्रेषण सुनिश्चित करना शामिल होगा।
- (xiii) ब्यूरो द्वारा माँगे जाने पर उत्पादन तथा मानक मुहर के उपयोग या लागू करने से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे।
- (xiv) ब्यूरो तथा/अथवा केन्द्रीय सरकार के सभी वित्तीय बकायों का भुगतान उसके द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से करेंगे।
- (xv) यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि मानक मुहर युक्त किसी उत्पाद की गुणता के संबंध में कोई शिकायत पाई जाती है, तो भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
- (xvi) यह स्वीकार करते हैं कि अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम एक माह का नोटिस देकर ब्यूरो को अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त में संशोधन करने का अधिकार होगा।
- (xvii) अनुज्ञप्ति के विषय-क्षेत्र में आने वाले किसी मॉडल के नाम/प्रबंधन, स्थान, संपर्क विवरण, अधिकृत प्रतिनिधि या किसी महत्वपूर्ण घटक में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना ऐसे परिवर्तन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर बीआईएस को प्रदान करेंगे।
- (xviii) जब भी हम रजिस्ट्रीकरण स्कीम के संचालन के साथ किसी अन्य ब्रांड नाम/ट्रेडमार्क का उपयोग करने का प्रस्ताव करें, तो इसकी अग्रिम सूचना भारतीय मानक ब्यूरो को देंगे।
- (xix) यह समझते हैं कि पैरा 15(क) में दी गई ब्रांड नाम संबंधी जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो को केवल सूचित करने के उद्देश्य से दी गई है तथा यह कि भारतीय मानक ब्यूरो की किसी भी ब्रांड नाम या ट्रेडमार्क को अनुमति देने या अनुमोदित करने में कोई भूमिका नहीं है तथा यह भी कि इसे किसी भी प्रकार से यह नहीं माना जाएगा कि भारतीय मानक ब्यूरो ने उपर्युक्त ब्रांड नामों या ट्रेडमार्कों के उपयोग की अनुमति या स्वीकृति दी है; और इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरी/हमारी होगी।
- (xx) सुसंगत भारतीय मानक अथवा उत्पाद के लिए अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों में किए गए पुर्नविलोकन एवं संशोधनों को, जैसा भी बीआईएस द्वारा निर्देशित किया जाए, लागू करेंगे।

(xxi) अधिनियम, नियमों एवं विनियमों में समय-समय पर किए गए अद्यतनों का पालन करेंगे तथा बीआईएस द्वारा जारी दिशानिर्देशों और परिपत्रों का अनुसरण करेंगे।

(xxii) यह सुनिश्चित करने का वचन देते हैं कि हमारे द्वारा नामित प्रतिनिधि बीआईएस या बीआईएस से संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप में संलग्न नहीं होगा, जैसे—नमूनों का परीक्षण, बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की क्रियाकलापों में संलग्न होना, बाजार निगरानी करना आदि, या कोई अन्य गतिविधि जिसमें बीआईएस की इस स्कीम के अधीन हितों का टकराव शामिल हो।

(xxiii) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि भारतीय प्रतिनिधि उपर्युक्त क्रियाकलापों में से किसी में या बीआईएस के कार्यों से संबंधित किसी अन्य ऐसी क्रियाकलाप में संलग्न है जिसमें हितों का टकराव शामिल है, तो प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए अधीन होगा। ऐसे भारतीय प्रतिनिधि को बीआईएस से संबंधित किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

(ग) घोषणा: मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि—

- i) इस घोषणा में दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।
- ii) जिन नमूनों के लिए परीक्षण रिपोर्ट संलग्न की गई हैं, वह मेरे/हमारे कारखाना परिसर में विनिर्मित की गई है। यह परीक्षण इस आवेदन पत्र के क्रम संख्या 2 में उल्लिखित पते पर किया गया है।
- iii) यदि इस घोषणा में कोई भ्रामक जानकारी पाई जाती है, तो अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु किया गया आवेदन अस्वीकृति के अधीन होगा।
- iv) यदि उपर्युक्त दी गई जानकारी के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान कर दिया जाता है और बाद में वह जानकारी गलत पाई जाती है, तो अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण के अधीन होगा।

तारीख:

स्थान:

विनिर्माता की मुहर

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

आवेदन की तारीख \_\_\_\_\_

महत्वपूर्ण: आवेदन पर उस विनिर्माता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए जो वस्तुओं का उत्पादन करता है (उत्पाद का विनिर्माता), अथवा विनिर्माण इकाई में उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए (प्राधिकार पत्र संलग्न करें)।

अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि के प्रति-हस्ताक्षर (विदेशी विनिर्माता द्वारा किए गए आवेदन के मामले में):

(मैंने उपर्युक्त उल्लिखित नियम एवं शर्तें तथा घोषणा पढ़ ली हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता/करती हूँ तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।)

संगठन का नाम, यदि शाखा/संपर्क कार्यालय स्थापित है / ब्रांड स्वामी/प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि के रूप में नामित कोई भी तृतीय पक्ष: \_\_\_\_\_

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम:

हस्ताक्षर एवं तारीख \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

दूरभाष नं.: \_\_\_\_\_

मोबाईल नं.: \_\_\_\_\_

ईमेल: \_\_\_\_\_

## प्ररूप - II

(स्क्रीम-II के पैरा 3 के उप-पैरा (1) का खंड (ड) देखें)

## घोषणा-पत्र

(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर जारी किया जाए)

विनिर्माता का नाम एवं पता:

उत्पाद का नाम:

व्यापार/ब्रांड नाम:

भारतीय मानक अथवा उत्पाद के लिए अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाएं (या दोनों) की अनुरूपता हेतु:

आवेदन आईडी/समावेशन आईडी/सीसीएल आईडी/स्विचओवर आईडी:

हमने, \_\_\_\_\_ (विनिर्माता का नाम), उपर्युक्त उत्पाद/उत्पादों के लिए अनुरूपता की स्व-घोषणा पर अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए बीआईएस में आवेदन किया है। हम, नियामकीय अनुपालन के लिए उत्तरदायी पक्ष के रूप में, अपने उत्तरदायित्व पर यह घोषित करते हैं कि वर्णित उत्पाद आईएस \_\_\_\_\_ के अनुरूप है।

इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्ति प्रदान करने/ मॉडल नंबर \_\_\_\_\_ उत्पाद \_\_\_\_\_ के समावेशन करने के आवेदन के साथ हमारे द्वारा संलग्न की गई परीक्षण रिपोर्ट संख्या \_\_\_\_\_ तारीख \_\_\_\_\_ जो \_\_\_\_\_ (बीआईएस से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का नाम) द्वारा जारी की गई है, को हमने आईएस \_\_\_\_\_ या प्रत्येक अपेक्षा के अनुसार, खंड-वार पूर्ण रूप से जांच लिया है।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि:

i) परीक्षण रिपोर्ट में उपर्युक्त भारतीय मानक अथवा उत्पाद के लिए अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाएं (या दोनों) की सभी लागू अपेक्षाओं के लिए परीक्षण परिणाम/अनुरूपता मूल्यांकन सम्मिलित हैं।

ii) मानक के प्रत्येक खण्ड/उपखण्ड में शामिल मानक की प्रत्येक अपेक्षा के लिए निरीक्षण के परिणामों का हमने स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया है और पाया है कि वे मानक में विहित सीमाओं के भीतर/विहित अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं।

हम सहमत हैं कि यदि अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के पश्चात किसी भी समय अनुज्ञप्ति के लिए बीआईएस को हमारे द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट में कोई विसंगति पाई जाती है, तो परीक्षण रिपोर्ट तथा इस घोषणापत्र के आधार पर हमें प्रदान किया गया अनुज्ञप्ति बीआईएस द्वारा रद्द किया जा सकता है।

हस्ताक्षर एवं मुहर:

नाम (आवेदक/आवेदन भरने वाला भारतीय इकाई का प्राधिकृत प्रतिनिधि)

तारीख:

स्थान:

प्ररूप-III क  
(स्कीम II के पैरा 3 के उप-पैरा (1) का खंड (च) देखें)

मॉडल शपथपत्र-सह-वचन पत्र (भारत में स्थित विनिर्माता के शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने से पूर्व प्रस्तुत किया जाए)  
(₹100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, सम्यक रूप से नोटरीकृत)

मैं, ....., जिसकी आयु लगभग ..... वर्ष है, व्यवसाय से मैसर्स .....  
(भारत में संपर्क कार्यालय/सहायक फर्म/शाखा कार्यालय) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/मुख्यालय .....  
(भारत में पता) पर है, का सीईओ/एमडी/स्वामी/प्राधिकृत कर्मचारी (पदनाम.....) हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से शपथपूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूँ कि:

1. यह कि मैसर्स ..... (विदेशी आवेदक) जिसका कारखाना/विनिर्माण स्थल का पता ..... (विदेशी आवेदक का पता), द्वारा आवेदन आईडी/अनुज्ञप्ति संख्या ..... के अंतर्गत आवेदित अनुज्ञप्ति प्राप्ति के उद्देश्य से तथा अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (6) एवं (7) तथा धारा 31 के अनुपालन हेतु मैसर्स ..... (भारत में स्थित संपर्क कार्यालय/अनुषंगी फर्म/शाखा कार्यालय) की स्थापना भारत में की गई है।
2. यह कि मुझे यह शपथपत्र सह वचन पत्र प्रस्तुत करने के लिए सम्यक रूप प्राधिकृत किया गया है (प्राधिकार पत्र संलग्न है)।
3. यह कि मैसर्स ..... (भारत में संपर्क कार्यालय / सहायक फर्म / शाखा कार्यालय) बीआईएस अधिनियम, 2016, और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के संबंध में, मैसर्स ..... (विदेशी आवेदक) की ओर से बीआईएस द्वारा दिए गए / दिए जाने वाले सभी अनुज्ञप्ति(यों) के उद्देश्य से सभी दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करने का वचन देता है। मैसर्स ..... (भारत में संपर्क कार्यालय / अनुषंगी फर्म / शाखा कार्यालय) यह भी वचन देता है कि ब्यूरो की पूर्व सहमति के बिना किसी भी अनुज्ञप्ति के संचालन के दौरान यह वचनपत्र निरस्त नहीं किया जाएगा।
4. यह कि उपर्युक्त घोषणा की सामान्यता को प्रभावित किए बिना, मैसर्स ..... (भारत में स्थित संपर्क कार्यालय/अनुषंगी फर्म/शाखा कार्यालय) अनुज्ञप्ति की सभी शर्तों एवं नियमों को स्वीकार करता है तथा उनके अनुपालन का उत्तरदायित्व का वचन देता है तथा बीआईएस के प्रति किसी भी अनुज्ञप्ति के संबंध में किसी भी स्तर पर उत्पन्न होने वाले सभी बकाया वित्तीय देयों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।
5. यह कि मैसर्स..... (भारत में स्थित संपर्क कार्यालय/अनुषंगी फर्म/शाखा कार्यालय) विदेशी आवेदक की किसी भी कार्रवाई या चूक के कारण अधिनियम के किसी भी उपबंध को, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के उल्लंघन की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।
6. यह कि मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैसर्स ..... (भारत में स्थित संपर्क कार्यालय/अनुषंगी फर्म/शाखा कार्यालय) का किसी भी ऐसी प्रयोगशाला के साथ कोई वाणिज्यिक या व्यावसायिक संबंध नहीं है जो बीआईएस के हितों को प्रभावित करता हो तथा यह बीआईएस के सामान्य हितों के विरुद्ध किसी क्रियाकलाप में संलिप्त नहीं होगा और मैं पूर्ण रूप से समझता/समझती हूँ कि विधि अनुसार अन्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त इसके किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द किए जा सकते हैं।

7. यह कि मैसर्स ..... (भारत में स्थित संपर्क कार्यालय/अनुषंगी फर्म/शाखा कार्यालय) तथा अधोहस्ताक्षरी अर्थात् शपथकर्ता, विदेशी आवेदक की ओर से प्रदान किए गए/प्रदान किए जाने वाले किसी भी अनुज्ञप्ति(यों) से उत्पन्न किसी भी हानि के लिए, संयुक्त एवं पृथक रूप से, बीआईएस को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति देने का वचन देते हैं।

इसके साक्ष्य में, मैं इस ..... तारीख ....., 20..... को यह शपथपत्र सह वचन पत्र हस्ताक्षरित एवं निष्पादित करता/करती हूँ।

ऊपर नामित द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद एवं सुपुर्द किया गया।

(अभिसाक्षी)

(हस्ताक्षर, मुहर एवं स्टाम्प)

(नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर, मुहर एवं स्टाम्प)

प्ररूप-III ख

(स्कीम-II के पैरा 3 के उपपैरा (1) का खंड (च) देखें)

मॉडल शपथपत्र सह वचन पत्र (ब्रांड स्वामी; अथवा स्वामी/रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता/सहायक फर्म/ब्रांड/ट्रेडमार्क के संपर्क कार्यालय; अथवा भारत में स्थित किसी अन्य इकाई द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने से पूर्व प्रस्तुत किया जाए) (केवल एक सौ रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, सम्यक रूप से नोटरीकृत)

मैं, ....., जिसकी आयु लगभग ..... वर्ष है, व्यवसाय से मैसर्स ..... (भारत में नामित कंपनी/फर्म/स्वामित्व) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/मुख्यालय ..... (भारत में पता) पर है, का सीईओ/एमडी/स्वामी/प्राअधिकृत कर्मचारी (पदनाम.....) हूँ, सत्यनिष्ठा से शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:

1. कि मैसर्स ..... (विदेशी आवेदक), जिसका कारखाना/विनिर्माण पता ..... (विदेशी आवेदक का पता) है, ने मैसर्स ..... (भारत में नामित कंपनी/फर्म/स्वामित्व) को भारत में स्थित अपने अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है, जिससे उसके उत्पाद/वस्तु ..... (ब्रांड सहित उत्पाद का विवरण तथा संबंधित भारतीय मानक अथवा उत्पाद हेतु अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाएं या दोनों) के लिए आवेदन आईडी/अनुज्ञप्ति संख्या \_\_\_\_\_ के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के उद्देश्य से तथा अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (6) एवं (7) तथा धारा 31 के अनुपालन हेतु कार्य किया जा सके।
2. कि मुझे इस शपथपत्र सह वचन पत्र को देने हेतु सम्यक रूप से अधिकृत किया गया है (प्राधिकार पत्र संलग्न है)।
3. \*\*कि मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैसर्स ..... (भारत में नामित कंपनी/फर्म/स्वामित्व) कथित उत्पाद पर प्रदर्शित ब्रांड/ट्रेडमार्क का ब्रांड स्वामी/स्वामी/ रजिस्ट्रीकृत

उपयोगकर्ता/सहायक कार्यालय/संपर्क कार्यालय है।

अथवा

\*\*कि मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैसर्स ..... (भारत में नामित कंपनी/फर्म/स्वामित्व) प्रमुख आयातक/वितरक/संस्था है जिसके कथित वस्तु के ब्रांड स्वामी और/अथवा विनिर्माता के साथ विपणन संबंध है।

4. कि मैसर्स ..... (भारत में नामित कंपनी/फर्म/स्वामित्व) इस नामांकन को बिना शर्त स्वीकार करता/करती है तथा मैसर्स ..... (विदेशी आवेदक) की ओर से उल्लेखित उत्पाद/उत्पादों के रजिस्ट्रीकरण के उद्देश्य से अधिनियम के उपबंधों को, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व लेने हेतु अपनी सहमति देता/देती है। मैसर्स ..... (भारत में नामित कंपनी/फर्म/स्वामित्व) यह भी वचन देता/देती है कि ब्यूरो की पूर्व सहमति के बिना अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान यह सहमति वापस नहीं ली जाएगी।

5. कि उपर्युक्त घोषणा की सामान्यतया को प्रभावित किए बिना, मैसर्स ..... (भारत में नामित कंपनी/फर्म/स्वामित्व) रजिस्ट्रीकरण की सभी शर्तों एवं नियमों के अनुपालन की उत्तरदायित्व स्वीकार करता/करती है तथा अनुज्ञप्ति से संबंधित किसी भी चरण में उत्पन्न होने वाले बीआईएस के सभी बकाया वित्तीय देयों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा/होगी।

6. कि मैसर्स ..... (भारत में नामित कंपनी/फर्म/स्वामित्व) विदेशी आवेदक की किसी भी क्रिया या चूक के कारण अधिनियम के किसी भी उपबंध को, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के उल्लंघन की स्थिति में पूर्ण दायित्व स्वीकार करता/करती है।

7. कि मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैसर्स ..... (भारत में नामित कंपनी/फर्म/स्वामित्व) का किसी भी ऐसी प्रयोगशाला के साथ कोई वाणिज्यिक या व्यावसायिक संबंध नहीं है जिससे बीआईएस के हित प्रभावित हों, तथा वह बीआईएस के हितों के विरुद्ध किसी भी क्रियाकलाप में संलग्न नहीं होगा/होगी। मैं पूर्ण रूप से समझता/समझती हूँ कि विधि अनुसार अन्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त इसके किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द किए जा सकते हैं।

8. कि मैसर्स ..... (भारत में नामित कंपनी/फर्म/स्वामित्व) तथा अधोहस्ताक्षरी अर्थात् शपथकर्ता, दोनों संयुक्त एवं पृथक रूप से, विदेशी आवेदक की ओर से, प्रदान किए जाने वाले अनुज्ञप्ति से उत्पन्न किसी भी हानि के लिए बीआईएस को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति देने का वचन देते हैं।

इसके साक्ष्य में, मैं इस ..... तारीख ....., 20..... को यह शपथपत्र सह वचन पत्र हस्ताक्षरित एवं निष्पादित करता/करती हूँ।

उपरोक्त नामित द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद एवं सुपुर्द किया गया

(अभिसाक्षी)

(हस्ताक्षर, मुहर एवं स्टाम्प)

(नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर, स्टाम्प एवं मुहर)

\*\* जो लागू न हो, उसे काट दें।

## प्ररूप-III ग

(स्कीम-II के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के खंड (च) का संदर्भ लें)

आदर्श शपथपत्र सह वचन पत्र

(भारत में स्थित विनिर्माता द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने से पूर्व प्रस्तुत किया जाए)

(केवल एक सौ रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, सम्यक रूप नोटरीकृत)

मैं, ....., जिसकी आयु लगभग ..... वर्ष है, व्यवसाय से मैसर्स ..... जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/मुख्यालय ..... है और विनिर्माण इकाई ..... पर है, का सीईओ/एमडी/स्वामी/प्राधिकृत कर्मचारी (पदनाम.....) हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:

1. यह कि मुझे आवेदन आईडी/अनुज्ञप्ति संख्या: \_\_\_\_\_ के लिए यह शपथपत्र-सह वचन पत्र प्रस्तुत करने हेतु सम्यक रूप से अधिकृत किया गया है (प्राधिकार पत्र संलग्न है)।

2. यह कि मैसर्स..... यह वचन देता है कि वह अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (6) एवं (7) तथा धारा 31 के अंतर्गत बीआईएस द्वारा प्रदान किए गए/प्रदान किए जाने वाले सभी अनुज्ञप्ति(यों) के संबंध में समस्त देनदारियों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा। मैसर्स ..... यह भी वचन देता है कि यह वचन, ब्यूरो की पूर्व सहमति के बिना, किसी भी रजिस्ट्रीकरण की वैधता अवधि के दौरान निरस्त नहीं किया जाएगा।

3. यह कि उपर्युक्त घोषणा की सामान्यता को प्रभावित किए बिना, मैसर्स ..... सभी रजिस्ट्रीकरणों की शर्तों एवं नियमों को स्वीकार करता है तथा इसके अनुपालन की पूर्ण उत्तरदायित्व का वचन देता है तथा किसी भी अनुज्ञप्ति के संबंध में किसी भी चरण में बीआईएस के प्रति समस्त बकाया वित्तीय देयताओं का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

4. यह कि मैसर्स ..... अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के किसी भी उपबंध उल्लंघन की स्थिति में, जो किसी कार्य या चूक के कारण उत्पन्न हो, पूर्ण दायित्व स्वीकार करता है।

5. यह कि मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैसर्स ..... का किसी भी ऐसी प्रयोगशाला के साथ कोई वाणिज्यिक या व्यावसायिक संबंध नहीं है जिससे बीआईएस के हित प्रभावित हों तथा यह बीआईएस के सामान्य हितों एवं विशेष रूप से अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण स्कीम के हितों के प्रतिकूल किसी क्रियाकलाप में संलग्न नहीं होगा। मैं पूर्ण रूप से समझता/समझती हूँ कि विधि अनुसार अन्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त इसके किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द किए जा सकते हैं।

6. यह कि मैसर्स ..... तथा अधोहस्ताक्षरी अर्थात् शपथकर्ता, बीआईएस द्वारा प्रदान किए गए/प्रदान किए जाने वाले किसी भी अनुज्ञप्ति से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि के लिए, संयुक्त एवं पृथक रूप से, बीआईएस को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करने का वचन देते हैं।

इसके साक्ष्य में, मैं इस ..... तारीख ....., 20..... को यह शपथपत्र सह वचन पत्र हस्ताक्षरित एवं निष्पादित करता/करती हूँ।

उपरोक्त नामित द्वारा हस्ताक्षरित, मोहरबंद एवं सुपुर्द किया गया।

(अभिसाक्षी)

(हस्ताक्षर सहित मोहर एवं मुहर)

(नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर, मोहर एवं मुहर)

## प्ररूप - IV

(स्कीम-II के पैरा 3 के उपपैरा (1) का खंड (छ) देखें)

प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि का नामांकन  
(मूल रूप से एवं कंपनी के पत्र-शीर्ष पर जारी किया जाए)

मैं....., मैसर्स ..... (विदेशी आवेदक) का  
सीईओ/एमडी/स्वामी/अधिकृत कर्मचारी (पदनाम ..... ) जिसकी विनिर्माण इकाई  
..... (पूरा पता) पर स्थित है, यह घोषणा करता/करती हूँ कि

\* (क) मैसर्स ..... (विदेशी आवेदक) का भारत में एक संपर्क कार्यालय / सहायक कंपनी /  
शाखा कार्यालय मैसर्स ..... है, जो ..... (भारत में पूरा पता) पर स्थित है।

अथवा

\* (ख) मैसर्स ..... (विदेशी आवेदक) का भारत में कोई संपर्क कार्यालय / सहायक कंपनी /  
शाखा कार्यालय नहीं है, किंतु जिस ब्रांड/ट्रेडमार्क का उपयोग उत्पाद पर किया गया है, उसके स्वामी/रजिस्ट्रीकृत  
उपयोगकर्ता/सहायक कंपनी/संपर्क कार्यालय भारत में मैसर्स ..... के नाम से .....  
(ब्रांड स्वामी का पूरा पता) पर स्थित हैं।

अथवा

\* (ग) मैसर्स ..... (विदेशी आवेदक) का भारत में कोई संपर्क कार्यालय / सहायक कंपनी /  
शाखा कार्यालय नहीं है तथा जिस ब्रांड/ट्रेडमार्क का उपयोग उत्पाद पर किया गया है, उसका कोई भी स्वामी/  
रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता / सहायक कंपनी / शाखा कार्यालय / संपर्क कार्यालय भी भारत में स्थित नहीं है। अतः हम  
ब्रांड स्वामी और/या विनिर्माता के साथ विपणन संबंध रखने वाले प्रमुख आयातक/वितरक/संस्था को अपना अधिकृत  
भारतीय प्रतिनिधि नामित करते हैं।

2. तदनुसार, उपर्युक्त मैसर्स ..... हमारे अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा तथा रजिस्ट्रीकरण से संबंधित  
शपथपत्र-सह-वचन पत्र (प्ररूप-III क/ प्ररूप-III ख) एवं अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा।

\*जो लागू न हो, उसे काट दें।

भवदीय,

अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि का विवरण:

मैसर्स .....

पता:

फोन:

ई-मेल:

तारीख:

आवेदन आईडी/अनुज्ञप्ति संख्या: \_\_\_\_\_

संलग्नक: जैसा कि अगले पृष्ठ पर दिया गया है

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

पता:

फोन:

ई-मेल:

तारीख:

जमा किए जाने वाले दस्तावेज, यदि

## I. 1 (क) लागू होता है

(i) कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा सरकार/वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज, जिससे भारत में संपर्क कार्यालय या शाखा कार्यालय का प्रमाण मिलता हो।

(ii) उल्लिखित संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय के सीईओ/एमडी /अधिकृत कर्मचारी द्वारा प्ररूप-III क के अनुसार शपथपत्र-सह-वचन पत्र (केवल एक सौ रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, सम्यक रूप से नोटरीकृत), तथा प्ररूप-III क के बिंदु 2 में उल्लिखित प्राधिकार पत्र।

अथवा

## II. 1 (ख) लागू होता है

(i) नामित व्यक्ति को संबंधित ब्रांड/ट्रेडमार्क का ब्रांड स्वामी अथवा स्वामी/रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता/सहायक कंपनी/संपर्क कार्यालय सिद्ध करने वाला दस्तावेज;

(ii) नामित व्यक्ति की पहचान प्रमाणित करने वाला दस्तावेज (जैसे कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि); तथा

(iii) भारत में स्थित उक्त ब्रांड/ट्रेडमार्क के ब्रांड स्वामी अथवा स्वामी/रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता/सहायक कंपनी/संपर्क कार्यालय या उसके सीईओ/एमडी/अधिकृत कर्मचारी द्वारा प्ररूप-III ख के अनुसार शपथपत्र-सह-वचन पत्र (केवल एक सौ रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, सम्यक रूप से नोटरीकृत), तथा प्ररूप-III ख के बिंदु 2 में उल्लिखित प्राधिकार पत्र।

अथवा

## III. 1 (ग) लागू होता है

(i) संस्था (कंपनी/फर्म/ स्वामित्व) की वैधानिक स्थिति सिद्ध करने वाला दस्तावेज, जैसे कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकृत साझेदारी विलेख आदि;

(ii) दस्तावेज जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त संस्था ब्रांड स्वामी और/या विनिर्माता के साथ विपणन संबंध रखने वाला प्रमुख आयातक/वितरक/संस्था है;

(iii) ब्रांड स्वामी द्वारा घोषणा कि भारत में उनके ब्रांड/ट्रेडमार्क का कोई स्वामी/रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता/सहायक कंपनी/संपर्क कार्यालय स्थित नहीं है तथा नामित प्रतिनिधि ही प्रमुख आयातक/वितरक/संस्था है, जिसका ब्रांड स्वामी के साथ विपणन संबंध हैं।

(iv) भारत में स्थित कथित संस्था के सीईओ/एमडी/अधिकृत कर्मचारी द्वारा प्ररूप-III ख के अनुसार शपथपत्र-सह-प्रतिज्ञा पत्र (केवल एक सौ रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, सम्यक रूप से नोटरीकृत), तथा प्ररूप-III ख के बिंदु 2 में उल्लिखित प्राधिकार पत्र।

## प्ररूप - V

(स्कीम-II के पैरा 3 का उपपैरा (5) देखें)

हमारा संदर्भ:

तारीख:

विषय : अनुज्ञप्ति दस्तावेज़

विनिर्माण इकाई :	<विनिर्माता का नाम> <विनिर्माता का पूरा पता> <विनिर्माता का ई-मेल> <विनिर्माता का संपर्क नंबर>
------------------	---

महोदय,

1. आपके आवेदन के संदर्भ में हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अनुरूपता की स्व-घोषणा के आधार पर रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार आपको अनुज्ञप्ति मंजूर करना विनिश्चित किया गया गया है:

उत्पाद :	
आईएस संख्या या उत्पाद के लिए अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाएं या दोनों :	
ब्रांड :	
मॉडल :	
विनिर्माण का पता :	

2. यह अनुज्ञप्ति उपर्युक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित पते पर अवस्थित इकाई तथा ब्रांड और मॉडलों के लिए मंजूर की जा रही है।

3. इस अनुज्ञप्ति की समनुदेशित संख्या आर-<आर-नम्बर> है, जिसे <रजिस्ट्रीकरण तारीख> से प्रभावी किया गया है तथा यह <विधिमान्य समाप्ति तारीख> तक विधिमान्य है। भविष्य में किए जाने वाले पत्राचार में अनुज्ञप्ति संख्या सदैव निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

4. इस अनुज्ञप्ति के अधीन प्रदत्त अधिकारों और निर्दिष्ट विशेषाधिकारों का उपयोग किसी अन्य अवस्थान पर किसी अन्य कारखाने/ संगठन द्वारा न किया जाए तथा विनिर्माण मशीनरी के रजिस्ट्रीकृत परिसर से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति संख्या का उपयोग बंद कर दिया जाएगा और बीआईएस को सूचित किया जाएगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी को अधिनियम के उपबंधों तथा अधीन बनाए गए तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी को उपाबंध के में दिए अनुसार मानक मुहर के उपयोग और लेबल लगाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना होगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी किसी रीति में अनुज्ञप्ति का उपयोग नहीं करेगा जो अधिनियम या अधीन बनाए गए तथा समय-समय पर संशोधित नियमों एवं विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हो।
8. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्ति रोके जाने या निलंबन या रद्दकरण होने पर, अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत संबंधित भारतीय मानक या उत्पाद के लिए अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों के लिए अनुरूपता की स्व-घोषणा को तत्काल बंद करेगा तथा सभी प्रचारात्मक और विज्ञापन सामग्री को वापस लेगा, जिसमें इसका कोई निर्देश अंतर्विष्ट हो।
9. \*घोषणा के अनुसार, <व्यक्ति का नाम और पदनाम / इकाई का नाम और पता> प्राधिकृत प्रतिनिधि है तथा भारतीय प्रतिनिधि के नाम में किसी भी आशयित परिवर्तन की सूचना अपेक्षित फीस और दस्तावेजों के साथ तुरंत हमें दी जानी चाहिए।
10. अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए, अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति की समाप्ति से तीन मास पूर्व बीआईएस को आवेदन करना होगा। नवीकरण के लिए आवेदन-प्ररूप बीआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
11. यह अनुज्ञप्ति अंतरणीय नहीं है।

धन्यवाद सहित,  
भवदीय,

(<अधिकारी का नाम>  
<पदनाम>

\* विदेशी विनिर्माताओं पर लागू।

प्ररूप-VI

(स्कीम-II के पैरा 9 का उपपैरा (1) देखें)  
अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन  
(कंपनी के पत्रशीर्ष पर जारी किया जाए)

महानिदेशक  
भारतीय मानक ब्यूरो  
नई दिल्ली

महोदय,

मैं/हम \_\_\_\_\_ (विनिर्माण इकाई का नाम), जिसका कार्यालय  
\_\_\_\_\_ में तथा कारखाना \_\_\_\_\_ में स्थित है,

1. हम भारतीय मानक या उत्पाद के लिए अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों के अनुरूप हमारे द्वारा विनिर्मित वस्तुओं पर मानक मुहर के उपयोग के लिए अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन हम मंजूर की गई अनुज्ञप्ति संख्या R-XXXXXXXX के पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन कर रहे हैं।

2. हम अधिनियम के उपबंधों और अधीन बनाए गए तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों एवं विनियमों द्वारा और अनुज्ञप्ति को जारी रखने के लिए सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करेंगे।

3. अनुज्ञप्ति के अधीन सम्मिलित वस्तुओं के ब्यौरे और मात्रा दूसरी और दी गई है, जिसे विनिर्माण इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से स्व-प्रमाणित किया गया है।

4. संदाय ब्यौरे:

रकम रु. में	संदाय गेटवे रसीद संख्या	संदाय रसीद की तारीख	टिप्पणीयां

5. आवेदन तारीख: दो हजार \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ मास के \_\_\_\_\_ वें दिन

कार्यालय की मुहर:

हस्ताक्षर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ विनिर्माण इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति) \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

भारतीय प्रतिनिधि द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित:

हस्ताक्षरकर्ता का नाम \_\_\_\_\_ पदनाम \_\_\_\_\_

फर्म का नाम \_\_\_\_\_ पता \_\_\_\_\_ ई-मेल: \_\_\_\_\_

मोबाइल नंबर: \_\_\_\_\_ दूरभाष / लैंडलाइन नंबर: \_\_\_\_\_

टिप्पण: नवीकरण आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से तीन मास पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्पादन प्रतिवेदन  
(प्ररूप VI के लिए संलग्नक)  
(कंपनी के पत्रशीर्ष पर जारी किया जाए)

(\* ..... से ..... तक की अवधि के लिए प्रतिवेदित)

- [\*i) अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने की तारीख से लेकर विधिमान्यता तारीख से तीन मास पूर्व तक (प्रथम नवीकरण के लिए);  
ii) अंतिम विधिमान्यता तारीख से तीन मास पूर्व की अवधि से लेकर वर्तमान विधिमान्यता तारीख से तीन मास पूर्व तक (पश्चातर्ती नवीकरणों के लिए)]

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
2. अनुज्ञप्ति सं.:
3. वस्तु (उत्पाद) का नाम:
4. आईएस सं. या उत्पाद के लिए अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाएं या दोनों:
5. अनुज्ञप्ति के प्रविषय के अधीन आने वाली वस्तु की मॉडल संख्या और ब्रांड का नाम:
6. मानक चिह्न से चिह्ननांकित मात्रा (संख्या में):
7. वस्तु के प्रमुख वितरकों/व्यौरहारियों/क्रेताओं के नाम और पते:

घोषणा

मैं/हम आगे यह घोषणा करते हैं कि

- (i) इस घोषणा में दी गई सूचना मेरी/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य है।
- (ii) यदि इस घोषणा में कोई भ्रामक सूचना पाई जाती है तो अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकरण हेतुदायी होगा जिससे अनुज्ञप्ति की समाप्ति या रद्दकरण हो सकता है।
- (iii) यदि उपर्युक्त दी गई सूचना के आधार पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण मंजूर किया जाता है और बाद में वह जानकारी गलत पाई जाती है तो अनुज्ञप्ति रद्दकरण के लिए दायी होगी।

कार्यालय की मुहर:

हस्ताक्षर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ विनिर्माण इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति) \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

भारतीय प्रतिनिधि द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित:

हस्ताक्षरकर्ता का नाम \_\_\_\_\_ पदनाम \_\_\_\_\_

फर्म का नाम \_\_\_\_\_ पता \_\_\_\_\_

ई-मेल: \_\_\_\_\_

मोबाइल नंबर: \_\_\_\_\_

दूरभाष/लैंडलाइन नंबर: \_\_\_\_\_

प्ररूप-VII  
(स्कीम-II के पैरा 9 का उपपैरा (2) देखें)

हमारा संदर्भ :

तारीख :

आईडी :

विषय : आईएस <आईएस संख्या> या उत्पाद के लिए अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों के अनुसार अनुज्ञप्ति आर-<आर-नम्बर> का नवीकरण

मैसर्स <विनिर्माण इकाई का नाम>  
<विनिर्माण इकाई का पता>

महोदय/महोदया,

उपरोक्त उल्लिखित अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आपके आवेदन तारीख <हार्ड कॉपी प्राप्ति तारीख> के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इसको <पूर्ववर्ती विधिमान्यता समाप्ति तारीख के एक दिन पश्चात> से <विधिमान्यता समाप्ति तारीख> तक नवीकृत कर दिया गया है।

यह ध्यान में रखा जाए कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन मंजूर की गई उक्त अनुज्ञप्ति जिस अवधि के लिए मंजूर की गई है उसके अंत में नवीकृत न किए जाने या नवीकरण स्थगित न किए जाने की स्थिति में समाप्त हो जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि अगले नवीकरण के लिए अनुज्ञप्ति की समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व बीआईएस को आवेदन करें।

भवदीय,  
(अधिकारी का नाम)  
<पदनाम>

प्ररूप-VIII क  
(स्कीम II के पैरा 10 का उपपैरा (1) देखें)  
अनुज्ञप्ति के प्रविषय में मॉडल(लों) के समावेश/प्रत्याहरण के लिए आवेदन  
(कंपनी के पत्रशीर्ष पर जारी किया जाए)

1. अनुज्ञप्ति सं.:
2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम:
3. अनुज्ञप्तिधारी का पता:
4. आईएस सं. या उत्पाद के लिए अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाएं या दोनों:
5. उत्पाद:
6. ब्रांड:
7. तक विधिमान्य:
8. अनुज्ञप्ति के प्रविषय में समाविष्ट मॉडल:
9. समावेशन/प्रत्याहरण आई डी:

10. मॉडलों को अनुज्ञप्ति के प्रविषय में सम्मिलित किया जाना / प्रविषय से प्रत्याहरण / महत्वपूर्ण घटक सूची का अद्यतन:

11. जिन उत्पादों के लिए समावेशन/महत्वपूर्ण घटक सूची के अद्यतन के लिए आवेदन किया गया है उनके परीक्षण प्रतिवेदन(नों) के ब्यौरे:

क्र. सं.	प्रयोगशाला का नाम	परीक्षण प्रतिवेदन संख्या	परीक्षण प्रतिवेदन जारी करने की तारीख	मॉडल संख्या	ब्रांड

12. संदाय ब्यौरे:

रकम रु. में	संदाय गेटवे रसीद संख्या	संदाय रसीद की तारीख	टिप्पणियां

13. विनिर्माण – क्या विनिर्माण इकाई के पास उस उत्पाद और उसके मॉडलों/श्रृंखला जिनके लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है, के लिए पूर्ण विनिर्माण सुविधा उपलब्ध है? : हां / नहीं

(यदि 'नहीं', तो आउटसोर्स की गई विनिर्माण प्रक्रियाओं के ब्यौरे उपलब्ध कराएं)

14. परीक्षण – क्या विनिर्माण इकाई के पास भारतीय मानक या उत्पाद के लिए अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों के अनुसार उत्पाद की अनुरूपता सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण इन-हाउस परीक्षण सुविधाएँ स्थापित हैं? : हां / नहीं

(यदि 'नहीं', तो जिन परीक्षणों के लिए इन-हाउस सुविधा उपलब्ध नहीं है उनके ब्यौरे उपलब्ध कराएं और इन परीक्षणों की कैसे व्यवस्था की जाती हैं)

तारीख :

स्थान :

विनिर्माता की मुहर

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

आवेदन की तारीख \_\_\_\_\_

महत्वपूर्ण: आवेदन माल (उत्पाद विनिर्माता द्वारा) उत्पादन करने वाले विनिर्माता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या विनिर्माण इकाई में उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्राधिकृत पत्र संलग्न करें) द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए।

प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि के प्रतिहस्ताक्षर (विदेशी विनिर्माता के आवेदन के मामले में):

संगठन का नाम, यदि शाखा/संपर्क कार्यालय स्थापित है/ब्रांड स्वामी/प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्दिष्ट तीसरा पक्ष है:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम:

हस्ताक्षर और तारीख: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

टेलीफोन नंबर: \_\_\_\_\_

मोबाइल नंबर: \_\_\_\_\_

ई-मेल: \_\_\_\_\_

प्ररूप-VIII ख  
(स्कीम II के पैरा 10 का उपपैरा (1) देखें)

अनुज्ञप्ति में अन्य ब्यौरे में परिवर्तन के लिए आवेदन  
(कंपनी के पत्रशीर्ष पर जारी किया जाना है)

सूचना देने के लिए आवेदन प्ररूप			
क. नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार परिवर्तन हेतु अनुरोध (कृपया समुचित चिन्हित करें):			
1. इकाई के नाम में परिवर्तन (कृपया नीचे स्तंभ ख देखें)	हां	नहीं	नाम परिवर्तन का प्रमाण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए।
2. पते में परिवर्तन (कृपया नीचे स्तंभ ग1 और ग2 देखें)	हां	नहीं	पता परिवर्तन का प्रमाण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रबंधन संरचना में परिवर्तन (कृपया नीचे स्तंभ घ देखें)	हां	नहीं	प्रबंधन परिवर्तन का प्रमाण, शपथपत्र और नामांकन के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए, यदि लागू हो
4. फर्म का विभाजन (कृपया नीचे स्तंभ ड देखें)	हां	नहीं	विभाजन परिवर्तन का प्रमाण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए।
5. विलयन या सुविधाओं का विस्तार (कृपया नीचे स्तंभ च देखें)	हां	नहीं	विलयन परिवर्तन का प्रमाण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए।
6. क्या परिसर में सभी रजिस्ट्रीकरणों के लिए प्रस्तुत किया गया है	हां	नहीं	सभी रजिस्ट्रीकरणों के लिए एक साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
7. प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि में परिवर्तन	हां	नहीं	सभी रजिस्ट्रीकरणों के लिए एक साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
8. कोई अन्य सेवा	हां	नहीं	सभी रजिस्ट्रीकरणों के लिए एक साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सभी वर्तमान रजिस्ट्रीकरण संख्याएं:		
क. पुरानी इकाई का नाम और पता:		
ख. नई विनिर्माण इकाई के ब्यौरे:		
विनिर्माण इकाई का नाम: (कृपया परिवर्तन के प्रमाण की प्रति संलग्न करें)		
ग1. नए कार्यालय के ब्यौरे: (कृपया परिवर्तन के प्रमाण की प्रति संलग्न करें)		
पता 1:		
पता 2:		
पता 3:		
शहर:		राज्य:

पिन कोड:		देश:	
ई-मेल आईडी:		फोन नं.:	
ग2. नए कारखाने के ब्यौरे: (कृपया परिवर्तन के प्रमाण की प्रति संलग्न करें)			
पता 1:			
पता 2:			
पता 3:			
शहर:		राज्य:	
पिन कोड:		देश:	
ई-मेल आईडी:		फोन नं.:	
घ. प्रबंधन संरचना में परिवर्तन: (नए सीईओ / एमडी / भागीदारों के नाम)			
नाम 1:			
नाम 2:			
नाम 3:			

इ. फर्म का विभाजन (परिवर्तन की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें और लागू सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें)			
च. विलयन या सुविधाओं का विस्तार (परिवर्तन की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें और लागू सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें)			
छ. संदाय ब्यौरे:			
रकम रु. में	संदाय गेटवे रसीद संख्या	संदाय रसीद की तारीख	टिप्पणियां
ज. घोषणा: मैं घोषणा करता/करती हूँ और सहमत हूँ कि:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. इस प्ररूप में दी गई समस्त सूचना सत्य, सही, अद्यतन है और इस संबंध में कोई भी सूचना विद्यारित/छिपाई नहीं गई है।</li> <li>2. यदि कोई जानकारी मिथ्या/अपूर्ण/भ्रामक पाई जाती है तो भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को यह अधिकार होगा कि मेरे द्वारा कमियां दूर न किए जाने के मामले में स्थिति परिवर्तन के लिए मेरे अनुरोध को अस्वीकार कर सके।</li> <li>3. उपर्युक्त उपदर्शित किए गए परिवर्तनों के अतिरिक्त कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ है।</li> <li>4. मैं समझता/समझती हूँ कि अनुज्ञप्ति संख्याएं अंतरणीय नहीं हैं तथा केवल कारखाने का स्थानांतरण ही अनज्ञात है।</li> <li>5. मैं समझता/समझती हूँ कि कंपनी की स्थिति में किसी परिवर्तन जो बीआईएस द्वारा अपेक्षित हो, की सूचना बीआईएस को देना मेरा उत्तरदायित्व है।</li> </ol>			

6. मैं वचनबंध हूँ कि विनिर्माण प्रक्रिया/घटकों/विनिर्माण मशीनरी/परीक्षण उपस्करों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।\*
7. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस घोषणा का सत्यापन और हस्ताक्षर करने के लिए मैं प्राधिकृत हूँ।

सीईओ /एमडी /भागीदार का नाम  
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हस्ताक्षर



\*(यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो कृपया अतिरिक्त सूचना पृथक रूप से बीआईएस को प्रदान करें)

कृपया ध्यान दें:

सूचना में किसी भी अद्यतन की सूचना बीआईएस को देने के लिए इस प्ररूप का उपयोग करें।

यह प्ररूप <http://crsbis.in/BIS/> पर उपलब्ध है।

सभी परिवर्तनों की सूचना बीआईएस को तुरंत दी जानी चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि बीआईएस उन परिवर्तनों को संसाधित नहीं कर पाएगा जो विधिक इकाई के पते से संबंधित हों या जिनके साथ सहायक दस्तावेज़ और मूल हस्ताक्षर सहित आवेदन प्ररूप संलग्न न हों।

#### प्ररूप-IX क

(स्कीम II के पैरा 10 का उपपैरा (3) देखें)

हमारा संदर्भ :

तारीख :

समावेशन आईडी : <समावेशन आई डी>

विषय : अतिरिक्त मॉडल(लों) का समावेशन

विनिर्माण इकाई :	<विनिर्माण इकाई का नाम> <विनिर्माण इकाई का पता> <ई-मेल आईडी>      <टेलीफ़ोन नंबर>
------------------	---

महोदय,

1. यह पत्र आपके अनुरोध के संदर्भ में है, जिसमें आपने अनुज्ञप्ति संख्या आर-<आर-नम्बर> जो आपको पहले मंजूर किया गया था और जिसकी विधिमान्य <विधिमान्य समाप्ति तारीख> तक है, आईएस <आईएस संख्या> या उत्पाद के लिए अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाओं या दोनों के अनुसार 'उत्पाद का नाम' के मॉडल(लों) के समावेशन का अनुरोध किया है।

2. आपको सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अतिरिक्त मॉडल(लों) को <पृष्ठांकन तारीख> से आपके अनुज्ञप्ति आर-<आर-नम्बर> के प्रविषय में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है:

उत्पाद	<उत्पाद का नाम >
आईएस सं. या उत्पाद के लिए अधिसूचित	आई एस <आई एस संख्या > या उत्पाद के लिए

आवश्यक अपेक्षाएं या दोनों	अधिसूचित आवश्यक अपेक्षाएं या दोनों
ब्रांड	<ब्रांड का नाम>
अतिरिक्त मॉडलों का समावेशन (तारीख <पृष्ठांकन तारीख> से प्रभावी)	<समावेशन के लिए मंजूर किए गए मॉडल >
कारखाने का पता	<विनिर्माण इकाई का पता>

3. अनुज्ञप्ति के अन्य निबंधन और शर्तें यथावत रहेंगीं।

4. यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति करें।

धन्यवाद।

भवदीय,

(<अधिकारी का नाम>)

<पदनाम>

प्ररूप-IX ख  
(स्कीम II के पैरा 10 का उपपैरा (3) देखें)

हमारा संदर्भ :

तारीख :

विषय : \_\_\_\_\_ में परिवर्तन

विनिर्माण इकाई :  
<विनिर्माण इकाई का नाम>  
<विनिर्माण इकाई का पता>  
<ई-मेल आईडी>  
<दूरभाष सं.>

महोदय,

यह नीचे दी गई सारणी के अनुसार आपकी कंपनी द्वारा धारित वीआईएस अनुज्ञप्ति(यों) के संदर्भ में है और इसके अतिरिक्त \_\_\_\_\_ में परिवर्तन के संबंध में आपके अनुरोध के संदर्भ में है।

फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर, अनुज्ञप्ति के प्रविषय में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

अनुज्ञप्ति सं.	
सेवा अनुरोध	
पूर्व विवरण	
नवीन विवरण	
विनिश्चय की तारीख	

अनुज्ञप्ति के अन्य निबंधन और शर्तें यथावत रहेंगीं।

धन्यवाद।

भवदीय,

<अधिकारी का नाम>

<पदनाम>

(ग) स्कीम-IV में, —

(i) पैरा 5 के, उपपैरा (2) के, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थातः—

“भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) संशोधन विनियम, 2026 के प्रकाशन पर और 31 मई, 2029, तक फीस में सूक्ष्म उद्यमों या स्टार्ट-अप्स की बाबत अस्सी प्रतिशत, लघु उद्यमों की बाबत पचास प्रतिशत और मध्यम उद्यमों के लिए बीस प्रतिशत की रियायत दी जाएगी और 1 जून, 2029 से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए फीस में बीस प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।”

(ii) पैरा 8 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थातः—

“8. अनुरूपता प्रमाणपत्र की विधिमान्यता

(1) अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रारंभ में पांच वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा।

(2) अनुरूपता प्रमाणपत्र को पांच वर्ष तक की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

(3) अपेक्षित फीस देय तारीख से पूर्व वार्षिक आधार पर अग्रिम रूप में संरत की जाएगी। देय तारीख से पूर्व उत्पादन विवरण के साथ वार्षिक फीस के असंदाय के मामले में, जिसके लिए विनियम 16 के उपबंध लागू होंगे।”

(iii) पैरा 11 के, उपपैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थातः—

“ब्यूरो जब आवेदक द्वारा अपेक्षित फीस संरत न की गई हो, इक्कीस दिन का नोटिस जारी करके अनुरूपता प्रमाणपत्र निलंबित कर सकेगा और इसके धारक को अनुरूपता प्रमाणपत्र के उपयोग को रोकने के लिए निदेशित कर सकेगा, सिवाय उन मामलों के जहां वार्षिक फीस के असंदाय के कारण अनुरूपता प्रमाणपत्र निलंबित माना जाता है, विनियम 16 के उपबंध लागू होंगे।”

(घ) स्कीम-VII में, —

(i) पैरा 5 के, उपपैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थातः—

“अनुरूपता प्रमाणपत्र के उपयोग के लिए वार्षिक अनुरूपता प्रमाणपत्र फीस बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए प्रति वर्ष पचास हजार रुपये होगा और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए बीस प्रतिशत की रियायत प्रदान की जाएगी, जिसे वार्षिक आधार पर अग्रिम रूप में संदाय किया जाएगा।”;

(ii) पैरा 8 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात:—

“8. अनुरूपता प्रमाणपत्र की विधिमान्यता

(1) अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रारंभ में पांच वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा।

(2) अनुरूपता प्रमाणपत्र को पांच वर्ष तक की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

(3) अपेक्षित फीस देय तारीख से पूर्व वार्षिक आधार पर अग्रिम रूप में संरत की जाएगी। देय तारीख पूर्व उत्पादन विवरण के साथ वार्षिक फीस के असंदाय के मामले में, जिसके लिए विनियम 16 के उपबंध लागू होंगे।

(4) इस तथ्य के होते हुए भी कि उपपैरा 1, उपपैरा 2 और उपपैरा 3 में अंतर्विष्ट कोई बात, कि अनुरूपता प्रमाणपत्र नवीकृत किया गया है, जैसे ही विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं में संशोधन किया जाता है या पुनरीक्षण किया जाता है, रद्द समझा जाएगा।”;

(iii) पैरा 10 के, उपपैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात:—

“ब्यूरो जब अपेक्षित फीस संरत नहीं की गई है, तब 21 दिन का नोटिस जारी करने के बाद अनुरूपता प्रमाणपत्र निलंबित कर सकेगा और इसके धारक को अनुरूपता प्रमाण पत्र का उपयोग रोकने के लिए निदेशित कर सकेगा और प्रमाणपत्र धारक द्वारा शोध्यों के संदाय पर निलंबित प्रतिसंहत किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ वार्षिक फीस के असंदाय के कारण अनुरूपता प्रमाणपत्र निलंबित माना जाता है, जिसके लिए विनियम 16 के उपबंध लागू होंगे।”

(ड) स्कीम-IX में, —

(i) पैरा 8 के, उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात:—

“(1) मानक मुहर का उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रारंभ में पांच वर्ष की अवधि के लिए मंजूर की जाएगी।”

(ii) पैरा 8 के, उपपैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात:—

“(3) मानक मुहर के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति को पांच वर्ष की अवधि तक के लिए पुनः प्रमाणित किया जा सकेगा और यह आदेश में निर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगा।”

(iii) पैरा 8 के, उपपैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात:—

“(5) अपेक्षित फीस देय तारीख से पूर्व वार्षिक आधार पर अग्रिम रूप में संरत की जाएगी। देय तारीख से पूर्व उत्पादन विवरण के साथ वार्षिक फीस के असंदाय के मामले में, जिसके लिए विनियम 8 उपबंध लागू होंगे।”

(iv) पैरा 11 के उप-पैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात:—

“(6) ब्यूरो जब आवेदक द्वारा अपेक्षित फीस और अन्य प्रभार संरत नहीं किए गए हैं तब 21 दिन का नोटिस जारी करके अनुज्ञप्ति निलम्बित कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी को उत्पाद पर मानक चिन्ह का उपयोग न करने के लिए निदेशित कर सकेगा और शोच्यों की प्राप्ति पर निलंबन प्रतिसंहत किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहां वार्षिक फीस के असंदाय के कारण अनुरूपता प्रमाणपत्र निलंबित माना जाता है, जिसके लिए विनियम 8 के उपबंध लागू होंगे।”

(च) स्कीम-X में, —

(i) पैरा 8 के, उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात:—

“(1) अनुज्ञप्ति प्रारंभ में पांच वर्ष की अवधि तक के लिए मंजूर की जाएगी।”

(ii) पैरा 8 के, उपपैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात:—

“(2) अनुज्ञप्ति को पांच वर्ष तक की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।”

(iii) पैरा 8 के, उपपैरा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“(5) अपेक्षित फीस देय तारीख से पूर्व वार्षिक आधार पर अग्रिम रूप से संरुत की जाएगी। देय तारीख से पूर्व उत्पादन विवरण के साथ वार्षिक फीस के असंदाय के मामले में, जिसके लिए विनियम 8 के उपबंध लागू होंगे।”

अल्का, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./711/2025-26]

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में एफ.सं. बीएस/11/11/2018, तारीख 4 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई और अधिसूचना एफ.सं. बीएस XI/11/01/2024, तारीख 23 अगस्त, 2024 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित की गई थी।

## BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department Of Consumer Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25 February, 2026

**F. No. BS/XI/11/01/2025-26.**—In exercise of the powers conferred by section 39 read with sections 12 and 13 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau, with previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Amendment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018 (herein after referred to as principal regulations), in regulation 5, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(3) The fee shall be paid on an annual basis in advance at the time of grant of licence and for continuation of operation of a valid licence.”.

3. In the principal regulation, in regulation 6, after sub-regulation (14), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(15) The licensee shall pay annual dues within timelines alongwith the production statement.”.

4. In the principal regulation, in regulation 8, —

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:—

“Continuation of operation of licence and its renewal”;

(b) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) The application under sub-regulation (1) shall be made to the Bureau before the expiry of the validity of licence as specified in the applicable Scheme given in Schedule-II and the fees shall be paid on an annual basis in advance at the time of renewal of licence and for continuation of operation of valid licence after the renewal.”.

(c) after sub-regulation (9), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(10) The fees to be paid on an annual basis for continuation of operation of a valid licence shall be paid in advance before the due date as specified in the applicable scheme.

(11) If the annual fee with production statement is not received by the due date, the operation of licence shall stand suspended for a period of ninety days from the due date or as provided in the applicable Scheme:

Provided that in case the annual fee with production statement is received within a period of ninety days along with late fee of rupees five thousand, the suspension shall stand revoked:

Provided further that the annual fee with production statement if not received within the period of suspension, the licence shall be cancelled.

(12) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (10) and (11), if the annual fee with production statement has been paid within ninety days of suspension period, the suspension of licence shall not be revoked, if suspension on account of non-conformity of samples or other non-compliances was already imposed before the due date for annual payment of fee or is required to be imposed and in case the discrepancies which led to the continuation of the suspension are removed, suspension may be revoked by the Bureau.”.

5. In the principal regulation, in regulation 10, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(3) Before the suspension of licence under sub-regulation (2), a notice of twenty-one days shall be given to the licensee, except for the cases where the licence is suspended due to non-payment of annual fees for which, the provision of regulation 8 shall apply.”.

6. In the principal regulation, in regulation 11, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) The Bureau may by order in writing cancel the licence after giving a notice of not less than twenty-one days, if-

- (a) the licensee fails to comply with any of the conditions of licence;
- (b) the licence has been issued in error,

except for the cases where licence is cancelled due to non-payment of annual fees along with production statement for which, the provision of sub-regulation (11) of regulation 8 shall apply.”.

7. In the principal regulation, in regulation 13, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(4) The fee shall be paid on an annual basis in advance at the time of grant of certificate of conformity and for its continuation thereafter.”.

8. In the principal regulation, in regulation 14, after sub-regulation(11), following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(12) The holder of certificate of conformity shall pay annual dues within timelines alongwith the production statement.”.

9. In the principal regulation, in regulation 16, —

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:—

“Continuation of operation of certificate of conformity and its renewal”;

(b) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) The application under sub-regulation (1) shall be made to the Bureau before the expiry of the validity of certificate of conformity as specified in the applicable Scheme in Schedule-II and the fees shall be paid on an annual basis in advance at the time of renewal of certificate of conformity and for its continuation thereafter.”;

(c) after sub-regulation (10), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(11) The fees to be paid on an annual basis for continuation of operation of a valid certificate of conformity shall be paid in advance before the due date as specified in the applicable scheme.

(12) If the annual fee with production statement is not received by the due date, operation of certificate of conformity shall stand suspended for a period of ninety days from the due date or as provided in the applicable Scheme:

Provided that if the annual fee with production statement is received within a period of ninety days along with late fee of rupees five thousand, the suspension shall stand revoked:

Provided further that the annual fee with production statement if not received within the period of suspension, the certificate of conformity shall be cancelled.

(13) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (11) and (12), if the annual fee with production statement has been paid within the ninety days of suspension period, the suspension of certificate of conformity shall not be revoked, if suspension on account of non-conformity of samples or other non-compliances was already imposed before the due date of annual payment of fee or is required to be imposed and in case the discrepancies which led to the continuation of the suspension are removed, suspension may be revoked by the Bureau.”.

10. In the principal regulation, in regulation 18, for sub-regulation (3), the following sub- regulation shall be substituted, namely:—

“(3) Before suspending the certificate of conformity under sub-regulation (2), a notice of twenty-one days shall be given to the holder of certificate of conformity, except for the cases where certificate of conformity is suspended due to non-payment of annual fees for which the provision of sub-regulation (12) of regulation 16 shall apply.”.

11. In the principal regulation, in regulation 19, for sub-regulation (1), the following sub- regulation shall be substituted, namely:—

“(1) The Bureau may by order in writing cancel the certificate of conformity after giving a notice of not less than twenty-one days, if-

(a) the holder of certificate of conformity fails to comply with any of the conditions of the certificate of conformity;

(b) the certificate of conformity has been issued in error,

except for the cases where certificate of conformity is cancelled due to non-payment of annual fees alongwith production statement as per provisions of sub-regulation (12) of regulation 16.”.

12. In the principal regulations, in Schedule-II, before Scheme-I, the following paragraphs shall be inserted, namely:—

“1. Ten different conformity assessment schemes are provided in this Schedule for product (goods or articles), system, service and process and out of these ten schemes, seven schemes are for conformity assessment of products and remaining three are for system, service and process, depending upon the needs of the stakeholders (including both Industry and Consumers) and regulatory objectives, suitable schemes are opted by the authorities for products notified under the technical regulations or quality control orders considering aspects like risks and trade practices in the national market.

2. The seven schemes for products are broadly classified below into two categories on the basis of elements involved in determination of conformity for grant of certification by the Bureau:

Sr. No.	Category	Relevant Scheme(s)
1.	With assessment at site	Scheme-I, Scheme-IV, Scheme-V, Scheme-IX and Scheme-X
2.	Without any assessment at site	Scheme-II and Scheme-VII”.

13. In the principal regulations, in Schedule-II,—

(a) in Scheme-I,—

(i) for paragraph 8, the following paragraphs shall be substituted, namely:—

“Validity of Licence

8. (1) The licence to use Standard Mark shall be granted initially upto five years;
- (2) The licence may be renewed for a further period up to five years;
- (3) The requisite fee shall be paid in advance on an annual basis before the due date and in case of non-payment of annual fee along with production statement before the due date for which, the provision of regulation 8 shall apply.”.

(ii) in paragraph 11, for sub-paragraph (6), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(6) The Bureau may suspend the licence after issuing a notice of twenty-one days and direct the licensee not to use Standard Mark on its product when requisite fee is not paid by the applicant, except for the cases where the licence shall be suspended due to non-payment of annual fees for which, the provision of regulation 8 shall apply.”;

(b) for Scheme-II, the following scheme shall be substituted, namely:—

“Scheme - II

Conformity assessment scheme for grant of licence to use or apply Standard Mark through registration based on self-declaration of conformity for goods and articles as per Indian Standard or essential requirements notified for the product or both (based on scheme Type C as per Schedule-I)

Scope

1. (1) Under this Scheme which is based on Type C, licence to use or apply a Standard Mark, through registration based on self-declaration of conformity, may be granted by the Bureau for goods or articles (hereinafter referred to as products) manufactured in a manufacturing premises and conforming to all the requirements of the relevant Indian Standards or essential requirements notified for the product or both.

*Explanation 1.-* For the purposes of sub-paragraph (1), manufacturing premise(s) may include such other premises, either owned by the applicant or otherwise, where a part of the manufacturing activity takes place and includes the premises where the final manufacturing activity is carried out and where Standard Mark is to be used or applied.

*Explanation 2.-* Essential requirements may be given in the relevant Indian Standard or notified for the product or both.

(2) The grant of licence and its operation shall be done in accordance with the processes specified in paragraph 3.

Definitions

2. (1) “third party laboratory” means a laboratory established, maintained or recognised by the Bureau or Government laboratories, as the case may be, empanelled by the Bureau or any other laboratory decided by the Executive Committee of the Bureau.

Processes of the Scheme

3. (1) Selection.- (a) The manufacturer shall identify—

(i) the Indian Standard or essential requirements notified for the product or both applicable for the product against which it intends to obtain a licence;

(ii) the manufacturing and testing capabilities and confirm availability; and

- (iii) the model numbers and brand name to be used;
  - (b) the manufacturer shall ascertain from the intended scope of the licence and sampling guidelines, the minimum number of sample required for testing of the product;
  - (c) the manufacturer may apply for grant of licence through registration based on self-declaration of conformity separately for each product in Form–I annexed to this Scheme;
  - (d) separate application shall be made for each brand name unless the brand name owner is the same;
  - (e) the manufacturer shall ensure that the product has been tested for conformity against all the requirements of the Indian Standard or essential requirements notified for the product or both and submit undertaking as per Form–II annexed to this Scheme and shall submit test report which is issued by third party laboratory as per the sampling guidelines available for that product;
  - (f) the manufacturer shall submit affidavit as per Form–III A, B or C, as applicable, annexed to this Scheme to ensure conformity to sub-sections (6) and (7) of section 18 and section 31 of the Act;
  - (g) in case of foreign manufacturers, an Indian representative to be nominated as per Form–IV annexed to this Scheme and the nominated Indian representative shall submit an affidavit as per Form–III A, B or C, as applicable, annexed to this Scheme to ensure conformity to sub-sections (6) and (7) of section 18 and section 31 of the Act; and
  - (h) acceptance of terms and conditions of the licence.
- (2) Determination.- The Bureau on receipt of an application shall examine the completeness of the information given in the application and the test results of the product from the third party laboratory shall be examined for their correctness and conformity with the Indian Standard or essential requirements notified for the product or both.
- (3) Review.- The application shall be reviewed and the test results of the product from the third party laboratory shall be reviewed, for their correctness and conformity with the Indian Standard or essential requirements notified for the product or both.
- (4) Decision.- The decision on grant of licence through registration based on self-declaration of conformity shall be taken by the Bureau when the application submitted by the applicant indicate that the manufacturer has necessary infrastructure for manufacturing quality products on a continuous basis and the test results indicate conformity of the product to the relevant Indian Standard or essential requirements notified for the product or both and the satisfactory outcome of review.
- (5) Attestation.- The Bureau on taking decision to grant a licence through registration based on self-declaration of conformity, a document indicating the scope of the licence, licence number, address of the manufacturer, brand-name, model numbers, validity of licence, details of the Indian Standard or essential requirements notified for the product or both, facsimile of the Standard Mark shall be issued to the manufacturer in Form –V annexed to this Scheme.
- (6) Surveillance.- (a) The Bureau may draw samples from market or in-transit and send such samples for testing to a third party laboratory along with the test request.
- (b) In case drawal of market sample is not possible due to any reason, samples may be drawn from the despatch point and the Bureau may obtain feedback preferably from organised buyers.

#### Complaints

4. (1) The Bureau shall acknowledge and investigate any complaint received regarding quality of the product bearing Standard Mark.

(2) The actions for closure of complaint shall be completed within ninety days, excluding the testing time, where testing of the product is involved.

#### Fee

5. (1) The application fee, annual licence fee and renewal application fee shall be rupees one thousand each.

(2) The processing fee on an yearly basis payable in advance shall be rupees twenty five thousand per application for grant of licence and continuation of operation of licence.

(3) Applications with more than one test report shall be additionally charged at the rate of rupees twenty thousand for each additional test report and the fee shall be paid in advance.

(4) The applicant shall pay processing fee of rupees twenty five thousand on an yearly basis in advance at the time of renewal of validity of licence and continuation of operation of licence.

(5) When renewal is applied for a period of more than two years, a fee of rupees twenty five thousand shall be charged for each additional year and fee shall be paid annually in advance for the validity period of the licence.

(6) On and from the date of publication of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Amendment Regulations, 2026 in the Official Gazette and upto the 31st May, 2029, the concession in processing fee shall be eighty per cent. in respect of micro enterprises or start-ups, fifty per cent. in respect of small enterprises and twenty per cent. in respect of medium enterprises, and with effect from the 1st day of June, 2029, the concession in processing fee in respect of micro, small and medium enterprises shall be twenty per cent.

*Explanation 1.*- For the purpose of this sub-paragraph, the expression “micro, small and medium enterprises” shall have the same meaning assigned to it in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006).

*Explanation 2.*- A start-up shall have the same meaning as assigned to it in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

(7) In case of application for inclusion of new varieties or models or extension of scope of licence, an amount of rupees thirty thousand shall be charged per application.

(8) The cost of the samples and the testing fee of the samples drawn for surveillance or complaint investigation shall be paid by the applicant or the licensee, as the case may be.

(9) After grant of licence, any service requests like change in name, address, management, Indian representative or e-mail or contact details or model withdrawal in the scope of the licence, updation of critical component of the models in the scope of the licence shall be made on payment of fee of rupees five thousand for each request.

#### Labelling and marking requirements

6. (1) Each product or the package, or both, shall be marked with the Standard Mark as specified in the guidelines to use the Standard Mark annexed with this Scheme as Annexure-I or additional labelling and marking requirements specified by the Bureau.

(2) The measurements of the Standard Mark shall be as specified in Annexure-II, annexed to this Scheme.

(3) The colour scheme of the Standard Mark shall be in accordance with the Annexure-III, annexed to this Scheme.

(4) The Standard Mark shall carry the licence number and reference to the Indian Standard or essential requirements notified for the product or both in a visible manner and shall be as specified in the licence.

(5) In case the licence number cannot be placed below the Standard Mark, it shall be suitably placed close to the Standard Mark in a linear manner.

(6) The product detail, as per the requirement of the Indian Standard or essential requirements notified for the product or both, which may include variety, model number, lot or batch number, date or week of manufacturing, complete address of manufacturer, shall be marked on either the product or the packaging or contained in a label attached to the product.

(7) The marking details shall contain a reference to the website of the Bureau to verify the authenticity of the standard marked product.

(8) If required by the Bureau, in addition to the Standard Mark, licensee shall mark either on the product or the package, the words “self-declaration of conformity to” followed by a reference to relevant Indian Standard number or essential requirements notified for the product or both.

(9) For any specific product, additional labelling and marking requirements may be specified by the Bureau to which the licensee shall comply.

#### Conditions of licence

7. The conditions of licence shall be as provided in regulation 6 of these regulations.

#### Validity of licence

8. (1) The licence to use Standard Mark shall be granted initially for up to five years.

(2) The licence may be renewed for a further period of up to five years.

(3) The requisite fee shall be paid in advance on an annual basis before the due date. In case of non-payment of annual fee alongwith production statement before the due date, the relevant provision under regulation 8 shall be applicable.

#### Renewal of licence

9. (1) An application for renewal of licence to use Standard Mark shall be made before three months of its expiration to the Bureau in Form –VI annexed to this Scheme.

(2) The Bureau shall renew the licence in Form –VII annexed to this Scheme.

(3) The renewal of licence shall be done in accordance with regulation 8 of these regulations.

#### Change in scope of licence

10. (1) An application for change in scope of licence to use Standard Mark shall be made to the Bureau in Form –VIII A, B, as applicable, annexed to this Scheme.

(2) For extension in scope of licence, an application may be considered based on complete test report of the product submitted by the licensee, which is issued by third party laboratory.

(3) The Bureau may amend the scope of licence in Form –IX A, B, as applicable, annexed to this Scheme.

#### Suspension

11. (1) The licensee on its own shall suspend the use of the Standard Mark under intimation to the Bureau, if, at any time there is difficulty in maintaining the conformity of the product to the Indian Standard or essential requirements notified for the product or both.

(2) The marking may be resumed as soon as the deficiencies are removed and information of such resumption of the marking shall be sent to the Bureau immediately but not later than seven days from the date of resumption.

(3) The licensee on its own shall suspend the use of the Standard Mark under intimation to the Bureau due to relocation of manufacturing unit to a new address.

(4) After completion of all actions the Bureau shall be informed along with the requisite fee.

(5) The revocation of suspension may be done by the Bureau after verification of the documents submitted and on deposit of requisite fee.

(6) The Bureau may suspend the licence after issuing a notice of twenty-one days and direct the licensee not to use Standard Mark on its product when requisite fee is not paid by the applicant, except for the cases where licence shall stand suspended due to non-payment of annual fees for which the relevant provisions under regulation 8 shall apply.

(7) The Bureau may revoke suspension issued under sub-paragraph (6) on receipt of dues.

#### Cancellation of licence

12. (1) The Bureau shall cancel the licence in accordance with regulation 11 of these regulations.

(2) If, at any time, the Bureau has sufficient evidence that the product bearing the Standard Mark is not conforming to the relevant Indian Standard or essential requirements notified for the product or both, the Bureau may cancel the licence after serving notice to the licensee, except for the cases where licence shall stand cancelled due to non-payment of annual fees alongwith production statement as per provisions under sub-regulation (11) of regulation 8.


(3) The licensee or his representative shall stop the supply, import and sale of the product with the Standard Mark after the date of cancellation.

Annexure-I  
(Refer sub-paragraph (1) of paragraph 6 of Scheme II)  
Guidelines for use of Standard Mark

The monogram of the 'Standard Mark' consists of the pictorial representation, drawn in the style as indicated in the figure in Annexure II and III and its photographic reduction and enlargement is permitted on the following conditions, namely:—


- (i) the 'Standard Mark' can be displayed in single colour or multi-colour as per the details given below. The colour scheme for the Standard Mark to be used in multi-colour shall be used as indicated below;
- (ii) the licensee shall display the 'Standard Mark' in a manner so as to be easily visible on the article or the packaging or as specified by the Bureau for a particular product; (iii) the Standard Mark shall be legible, indelible and non-removable and the durability of marking shall be as per the provisions of the relevant Indian Standard or essential requirements notified for the product or both, wherever applicable;
- (iv) the display of reference to Indian Standard or essential requirements notified for the product or both, registration number and words shall not be less than arial font size 6; and
- (v) a device with an integrated display screen may present the Standard Mark electronically (e-labelling) in lieu of a physical presentation on the product.

Annexure-II  
(Refer sub-paragraph (2) of paragraph 6 of Scheme II)



The IS number and licence number given above are examples only. Please also refer Gazette Notification S. O. 3240(E) dated 01 December 2015, for display of IS numbers for each product.

Annexure-III  
(Refer sub-paragraph (3) of paragraph 6 of Scheme II)  
Colour Scheme for the 'Standard Mark'



## Form- I

(Refer clause (c) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme II)

Application for grant of licence through registration based on Self – Declaration of Conformity

Month DD, YYYY

1. Name of Applicant (product manufactured by):

2. Address of the manufacturing unit (product manufactured by) (attach the documents for authentication of the name and address of the manufacturing premises)

Address:

State / Country:

Pin:

Email:

Tel. : [STD Code (s) (country and area code) to be given with Telephone numbers]

Fax : [STD Code (s) (country and area code) to be given with Fax numbers]

3. Address of office:

Address:

State / Country:

Pin:

Email:

Tel. : [STD Code (s) (country and area code) to be given with Telephone numbers]

Fax : [STD Code (s) (country and area code) to be given with Fax numbers]

4. Top management of the manufacturing unit (attach separate sheet, duly authenticated, if required):

Sl. No.	Name	Designation

5. Technical management of the manufacturing unit (attach separate sheet, duly authenticated, if required):

Sl. No.	Name	Designation

6. Contact Person of the manufacturing unit:

Name	Designation	Mobile Number	Landline Number	e-mail ID

7. Details of Indian Representative nominated by the manufacturer:

(We have a liaison office / subsidiary firm/ branch office located in India. The details are given below:

OR

We do not have a liaison office / subsidiary firm/branch office located in India, but Proprietor/Registered user/subsidiary firm/branch office/ liaison office of the Brand/Trademark appearing on the article is located in India. The details are given below:

OR

We do not have a liaison office / subsidiary firm/ branch office located in India and there is no Proprietor / Registered User/subsidiary firm/branch office/ liaison office of the Brand/Trademark appearing on the article, located in India. Therefore, we nominate the major importer/distributor/ entity having marketing tie-up with the brand owner and /or the manufacturer, as our authorised Indian representative as per details given below:)

Firm's Name:

Address of Firm:

Name of signatory:

Designation:

E-mail ID:

Mobile Number:

Office telephone:

8. This application is being made for grant of licence of:

(a) Indian Standard or essential requirements notified for the product or both:

(b) Product Category:

(c) Product Name:

Model Number(s)	Brand Name

9. Details of previous Licence(s):

Licence Number(s)	Status (Expired/Cancelled/Operative/Deferred)	Remarks

10. Components/ Raw Materials: List of the components / raw materials tested and accepted as per the requirements specified in the Indian Standard or essential requirements notified for the product or both with the arrangement for testing and acceptance of components / raw material is placed below (attach separate sheet, duly authenticated, if required) :

Object/Part Name	Manufacturer/ Brand	Model No.	Technical Data/ Rating	Standard for testing	Mark(s) of Conformity

11. Manufacture – Does the manufacturing unit have complete manufacturing facility for the product and its models and series for which the licence is applied for? : Yes / No  
(In case 'No', provide details of manufacturing processes outsourced)

12. Testing - Does the manufacturing unit have complete testing facility installed in-house for ascertaining the conformity of product as per Indian Standard or essential requirements notified for the product or both? : Yes / No  
(In case 'No', provide details of the tests for which there is no in-house test facility and how these tests are arranged)

## 13. Details of test report(s) of the product for which the licence is applied for:

Sl. No.	Name of Laboratory	Test Report No.	Date of Issue of Test Report	Model Number	Brand

## 14. Payment Details:

Amount in Rs.	Payment Gateway receipt number	Date of payment receipt	Remarks

## 15. Declaration and Acceptance

## (a) Brand Name(s)

Brand Names/ Trademark(s) which would be marked on the product bearing the licence (Give actual design depiction of the Brand Name/Trade Mark(s))	Owned by self or others*	Is the Brand Name/Trade Mark Registered?  i. Registered in India ii. Registered outside India iii. Applied for Registration iv. Unregistered	Date of Registration/ Introduction

Copy of Brand registration certificate shall also be provided.

\*In case Brand Names/Trademark(s) being used for above purpose is owned by any other organisation (other than the manufacturer/applicant), also give the copy of the agreement/ authorisation from the brand owner allowing manufacturer to use its brand.

## (b) Terms and Conditions

I/We, on grant of Licence,:

- (i) shall ensure that the design of Standard Mark shall be identical to the facsimile given in the licence.
- (ii) shall comply that photographic enlargement or reduction of the Standard Mark may also be used, unless otherwise specified by the Bureau.
- (iii) shall at all times comply with the provisions of Act, rules and regulations framed there under and as amended from time to time.
- (iv) shall provide the list of distributors, dealers or retailers to whom goods or articles with Standard Mark is supplied.
- (v) shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to the Indian Standard or essential requirements notified for the product or both in relation to which Standard Mark is used or applied.
- (vi) shall bear the cost of sample(s) drawn and their testing fee as directed by the Bureau/Central Government.
- (vii) shall not use the Standard Mark in relation to goods, articles, process, system or service which are non –conforming or outside the scope of the licence.
- (viii) shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which licence is granted, including labelling and marking requirements.

(ix) shall ensure that the Standard Mark is not used or applied in relation to any goods, article, process, system or service and supply, import and sell with the Standard Mark during suspension or after expiry/ cancellation of the licence.

(x) shall ensure to stop the supply and sale of non-conforming goods or articles and recall the non-conforming goods or articles that have already been supplied or offered for sale and bear such mark from the market or any such place from where they are likely to be offered for sale or prohibit to provide the service.

(xi) shall ensure that where we or our representative has sold goods, articles, processes, system or services, which bear a Standard Mark or any colourable imitation thereof, which do not conform to the relevant standard, the Bureau shall direct us or our representative to—

(a) repair or replace or reprocess the standard marked goods, article, process, system or service in a manner as may be specified; or

(b) pay compensation to the consumer as may be prescribed by the Bureau; or

(c) compensate the consumer for the injury caused by such non-conforming goods, article, process, system or service in such manner as may be prescribed.

(xii) shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises and such assistance shall include sending samples which have been marked and sealed by the certification officer to the designated office or laboratory and ensuring that such sample is dispatched to the designated office or laboratory within seven days from the date of inspection, audit or evaluation.

(xiii) shall provide information relating to production and use or applying of Standard Mark as and when it is required by the Bureau.

(xiv) shall pay all financial dues to the Bureau and/or the Central Government, in the manner specified by it.

(xv) shall ensure that, if a complaint regarding quality of a product bearing Standard Mark is established, we will take suitable corrective actions so as to eliminate recurrence of such complaints in future.

(xvi) acknowledge that the Bureau shall have the right to amend any of the conditions of licence by giving a notice of not less than one month to the licensee.

(xvii) undertake to inform BIS regarding any change in the name/management, location, contact details, authorised representative, critical component of any model in scope of licence within twenty-one days of such change.

(xviii) undertake to inform Bureau of Indian Standards in advance as and when we propose to use any other Brand Names/Trademark (s) in conjunction with the operation of the registration scheme.

(xix) understand that the information on brand name as at 15(a) has been given only as information to Bureau of Indian Standards, that Bureau of Indian Standard has no role in permitting/approving of any Brand Name of Trade Mark, that this shall not in any way be interpreted to mean that Bureau of Indian Standards has permitted/approved the use of the Brand Names and Trade Marks listed above, and that the responsibility is entirely mine/ours.

(xx) shall implement the revision and amendments to the relevant Indian Standard or essential requirements notified for the product or both, as and when directed by BIS. (xxi) shall ensure to abide by Act, rules and regulations update and follow the guidelines and circulars issued by BIS from time to time.

(xxii) undertake to ensure that the representative nominated by us will not engage with any other activity of BIS or related to BIS, for example, testing of samples, involving himself in the activities of laboratories recognised by BIS, undertaking market surveillance etc. or any other activity which may involve conflict of interest under this Scheme of BIS.

(xxiii) In case, it is detected at any stage that the Indian representative is engaged in any of the above mentioned activities or any other activity related to BIS functions that involve conflict of

interest, the registration awarded is liable to be cancelled. Such Indian representative would be blacklisted/debarred to undertake any activity related to BIS.

(c) Declaration: I/We further declare

- i) That the information given in this declaration are true to the best of my knowledge and belief.
- ii) That the sample(s) for which the test report(s) are enclosed have been manufactured in my factory premises at the address mentioned at S. No. 2 in this application form.
- iii) If any misleading information has been found in this declaration, the application for grant of licence shall be liable for rejection.
- iv) If the licence is granted on the basis of information given above, which is found to be incorrect later, the licence shall be liable for cancellation.

Date:

Place:

Seal of the Manufacturer

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Date of application \_\_\_\_\_

Important: Application should be signed by Chief Executive Officer of the manufacturer producing goods (product manufactured by) or his authorised representative in the manufacturing unit (enclose letter of authorisation).

Counter signature of authorised Indian representative (in case of Application from Foreign Manufacturer):

(I have read the terms and conditions and declaration mentioned above and I accept and agree to abide by the same.)

Name of the organisation, if Branch/Liaison Office is established/Brand Owner/Any third party nominated as authorised Indian representative: \_\_\_\_\_

Name and Designation of authorised signatory:

Signature and Date \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Telephone No.: \_\_\_\_\_

Mobile No.: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Form - II  
(Refer clause (e) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme II)

Undertaking  
(To be issued on company letter head)

Name and Address of Manufacturer:

Product Name:

Trade/Brand Name:

For conformity to Indian Standard or essential requirements notified for the product or both:

Application ID/Inclusion ID/CCL ID/Switchover ID:

-----

We, \_\_\_\_\_(Name of Manufacturer), have applied to BIS for grant of licence for self-declaration of conformity on above product(s). We, as the responsible party for regulatory compliance, declare under sole responsibility that the described product is in conformity with IS\_\_\_\_\_.

Further, the Test Report No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ issued by \_\_\_\_\_(Name of BIS recognised lab) submitted by us along with the application for grant of licence/inclusion for Model No.(s)\_\_\_\_\_ product \_\_\_\_\_ has been perused by us thoroughly clause by clause against IS \_\_\_\_\_ or each requirement.

We certify that;

- i) The test report covers the test results/conformity assessment for all applicable requirement of the above Indian Standard or essential requirements notified for the product or both
- ii) The test results for each requirement of the standard covered in each clause/sub-clause of the standard has been verified by us independently and found to be within the limits/meeting the requirements prescribed in the standard.

We agree that if any anomaly is found in the test report submitted by us to BIS for licence at any time after grant of licence, then the licence so granted to us on the basis of the test report and this undertaking would be liable to be cancelled by BIS.

Signature and Seal:

Name (Applicant/authorised representative of Indian entity filling application)

Date:

Place:

## Form - III A

(Refer clause (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme II)

Model Affidavit Cum Undertaking (To be furnished by Manufacturer's Branch Office/Liaison Office located in India, before Grant of Licence)

(On Rs 100/- non-judicial stamp paper, duly notarised)

I, ....., aged about ..... years, by occupation CEO/MD/Proprietor/ authorised employee (designation.....) of M/s ..... (the liaison office / subsidiary firm/ branch office, in India), having its Registered Office/Head Office at ..... (address in India), do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That M/s.....(the liaison office /subsidiary firm/ branch office, in India) has been set up in India by M/s .....(foreign applicant) having its factory/manufacturing address at ..... (address of foreign applicant) for the purpose of grant of licence applied under Application ID/licence No.: \_\_\_\_\_ and compliance to sub-section (6) and (7) of section 18 and section 31 of the Act.

2. That I have been duly authorised to give this affidavit cum undertaking (authorisation appended herewith).

3. That M/s ..... (the liaison office / subsidiary firm/ branch office, in India) does hereby undertake to meet all liabilities and obligations with respect to the BIS Act, 2016, and the rules and regulations framed there under, on behalf of M/s ..... (foreign applicant) for the purpose of all licence granted / to be granted by BIS. M/s ..... (the liaison office / subsidiary firm/branch office, in India) further undertakes that this undertaking shall not be revoked during the operation of any of the licence without prior consent of the Bureau.

4. That without prejudice to the generality of the foregoing declaration, M/s ..... (the liaison office / subsidiary firm/ branch office, in India) accepts and undertakes to be responsible for compliance of all terms and conditions of the licence and to be liable to meet all outstanding financial dues to BIS that may arise at any stage in connection with any of the licence.

5. That M/s ..... (the liaison office / subsidiary firm/branch office, in India) accepts and undertakes full liability in case of violation of any provision of the Act, rules and regulations framed thereunder, arising out of any act or omission on the part of the foreign applicant.

6. That I declare that M/s ..... (the liaison office / subsidiary firm/ branch office, in India) has no commercial or business relationship with any laboratory affecting the interest of BIS and that it will not engage in any activity that is in conflict with the interest of BIS in general and i fully understand that any violation of this may lead to cancellation of the licences, apart from other actions as per law.

7. That M/s ..... (the liaison office / subsidiary firm/ branch office, in India) as well as the undersigned i.e. deponent, undertake to fully indemnify BIS from any loss arising out of any of the licences granted / to be granted, jointly and severally, on behalf of the foreign applicant.

In witness whereof, I do hereby sign and execute this affidavit cum undertaking on this the .....day of ....., 20.....

Signed, sealed and delivered by the above named.

(Deponent)

(Signature with seal and stamp)

(Signature, stamp and seal of Notary Public)

Form - III B

(Refer clause (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme II)

Model affidavit cum undertaking (to be furnished by the brand owner; or proprietor/registered user /subsidiary firm/ liaison office of brand/trademark; or any other entity located in India, before grant of licence)

(On rupees one hundred only non-judicial stamp paper, duly notarised)

I, ....., aged about ..... years, by occupation CEO/MD/Proprietor/authorised employee (designation.....) of M/s ..... (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India), having its Registered Office/Head Office at ..... (address in India), do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That M/s..... (foreign applicant) having its factory/manufacturing address at ..... (address of foreign applicant) has nominated M/s ..... (the nominated Company/Firm/ Proprietorship in India) as its authorised representative located in India for the purpose of grant of licence of its article.....(details of article along with brand and Indian Standard concerned or essential requirements notified for the product or both) as applied under Application ID/licence No.: \_\_\_\_\_ and compliance to sub-section (6) and (7) of section 18 and section 31 of the Act.

2. That I have been duly authorised to give this affidavit cum undertaking (authorisation appended herewith).

3. \*\*That I hereby declare that M/s ..... (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India) is the Brand Owner/Proprietor/Registered User/subsidiary office/ liaison office of the Brand/Trademark appearing on said article.

OR

\*\*That I hereby declare that M/s ..... (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India) is the major importer/distributor/ entity having marketing tie-up with the brand owner and /or the manufacturer of the said article.

4. That M/s ..... (the nominated Company/Firm/ Proprietorship in India) does hereby unconditionally accept the nomination and give consent to be responsible for compliance to the provisions of the Act, rules and regulations framed thereunder, on behalf of M/s ..... (foreign applicant) for the purpose of Registration of the said article(s). M/s ..... (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India) further undertakes that this consent shall not be revoked during the operation of the licence without prior

consent of the Bureau.

5. That without prejudice to the generality of the foregoing declaration, M/s ..... (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India) accepts and undertakes to be responsible for compliance of all terms and conditions of the Registration and to be liable to meet all outstanding financial dues to BIS that may arise at any stage in connection with the licence.

6. That M/s ..... (the nominated Company/Firm/ Proprietorship in India) accepts and undertakes full liability in case of violation of any provision of the Act, rules and regulations framed thereunder, arising out of any act or omission on the part of the foreign applicant.

7. That I declare that M/s ..... (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India) has no commercial or business relationship with any laboratory affecting the interest of BIS and that it will not engage in any activity that is in conflict with the interest of BIS in. I fully understand that any violation of this may lead to cancellation of the licence, apart from other actions as per law.

8. That M/s ..... (the nominated Company/Firm/Proprietorship in India) as well as the undersigned i.e. deponent, undertake to fully indemnify the BIS from any loss arising out of the licence to be granted, jointly and severally, on behalf of the foreign applicant.

In witness whereof, I do hereby sign and execute this affidavit cum undertaking on this the .....day of ....., 20.....

Signed, sealed and delivered by the above named

(Deponent)

(Signature with seal and stamp)

(Signature, stamp and seal of Notary Public)

\*\* Strike off whichever is not applicable.

## Form - III C

(Refer clause (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme II)

## Model affidavit cum undertaking

(To be furnished by Manufacturer located in India, before Grant of Licence)

(On Rs 100/- non-judicial stamp paper, duly notarised)

I, ....., aged about ..... years, by occupation CEO/MD/Proprietor/ authorised employee (designation.....) of M/s ....., having its Registered Office/Head Office at ..... (complete address) and manufacturing unit located at .....(complete address), do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I have been duly authorised to give this affidavit cum undertaking (authorisation appended herewith) for Application ID/licence No.: \_\_\_\_\_.

2. That M/s ..... does hereby undertake to meet all liabilities and obligations with respect to the sub-section (6) and (7) of section 18 and section 31 of Act, for the purpose of all licence granted/to be granted by BIS. M/s ..... further undertakes that this undertaking shall not be revoked during the operation of any of the registrations without prior consent of the Bureau.

3. That without prejudice to the generality of the foregoing declaration, M/s..... accepts and undertakes to be responsible for compliance of all terms and conditions of the registrations and to be liable to meet all outstanding financial dues to BIS that may arise at any stage in connection with any of the licence.

4. That M/s ..... accepts and undertakes full liability in case of violation of any provision of the Act, rules and regulations framed thereunder, arising out of any act or omission.

5. That I declare that M/s ..... has no commercial or business relationship with any laboratory affecting the interest of BIS and that it will not engage in any activity that is in conflict with the interest of BIS in general and the Compulsory Registration Scheme in particular. I fully understand that any violation of this may lead to cancellation of the licences, apart from other actions as per law.

6. That M/s ..... as well as the undersigned i.e. deponent, undertake to fully indemnify BIS from any loss arising out of any of the licences granted / to be granted, jointly and severally.

In witness whereof, I do hereby sign and execute this affidavit cum undertaking on this the .....day of ....., 20.....

Signed, sealed and delivered by the above named.

(Deponent)

(Signature with seal and stamp)

(Signature, stamp and seal of Notary Public)

## Form - IV

(Refer clause (g) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Scheme-II)

## Nomination of Authorised Indian Representative

(To be issued on company letter head, in original)

I, ....., CEO/MD/Proprietor/authorised employee (designation .....)  
of M/s ..... (foreign applicant) having its manufacturing unit at  
..... (complete address), hereby declare that

\* (a) M/s..... (foreign applicant) have a liaison office / subsidiary firm/  
branch office M/s .....located at .....(complete address in India).

OR

\* (b) M/s..... (foreign applicant) do not have a liaison office /subsidiary firm/  
branch office located in India, but Proprietor/Registered user/subsidiary firm/liaison office of the  
Brand/Trademark appearing on the article is located in India by the name and Title M/s  
..... at .....(complete address of brand owner).

OR

\* (c) M/s..... (foreign applicant) do not have a liaison office / subsidiary firm/  
branch office located in India and there is no Proprietor / Registered User/subsidiary firm/branch  
office/ liaison office of the Brand/Trademark appearing on the article, located in India. Therefore, we  
nominate the major importer/distributor/ entity having marketing tie-up with the brand owner and /or  
the manufacturer, as our authorised Indian representative.

2. Accordingly, M/s ..... , referred above, will act as our authorised representative, and will sign  
Affidavit cum undertaking (Form-III A / Form-III B) and other documents relating to registration.

\* Strike off whichever is not applicable.

Yours faithfully,

Details of Authorised Indian Representative:

M/s .....

Address:

Phone:

E-mail:

Date:

Application ID/licence No.: \_\_\_\_\_

Enclosures: As given overleaf

Signature of applicant

Name:

Designation:

Address:

Phone:

E mail:

Date:

Documents to be submitted in case

I. 1 (a) is applicable

- (i) Certificate issued by the Registrar of Companies or any other relevant document from Government/Statutory Authorities which establish proof of its liaison office or branch office in India
- (ii) Affidavit cum undertaking (on rupees one hundred only non-judicial stamp paper, duly notarised) from the CEO/MD/authorised employee of said liaison office/branch office as per Form-III A along with the authorisation letter mentioned at 2 of Form-III A.

OR

II. 1 (b) is applicable

- (i) Document establishing the nominee as the Brand Owner or Proprietor/Registered User/ subsidiary firm/liaison office of the Brand/Trademark in question;
- (ii) Document authenticating the identity of the nominee (such as Certificate issued by Registrar of Companies, etc); and
- (iii) An affidavit cum undertaking (on rupees one hundred only non-judicial stamp paper, duly notarised) from the said Brand Owner or Proprietor/ Registered User/ subsidiary firm/liaison office of the Brand/Trademark located in India or its CEO/MD/authorised employee, as per Form–III B along with the authorisation letter mentioned at 2 of Form–III B.

OR

## III. 1 (c) is applicable

- (i) Document establishing legal status of the entity (Company, Firm, or Proprietorship) as the such as Certificate issued by Registrar of Companies, Registered Partnership Deed, etc;
- (ii) Document establishing the entity as the major importer/distributor/ entity having marketing tie-up with the brand owner and /or the manufacturer.
- (iii) Declaration from Brand owner that they do not have Proprietor/ Registered User/ subsidiary firm/liaison office of the Brand/Trademark located in India and that the nominated representative is the major importer/distributor/ entity having marketing tie-up with the brand owner.
- (iv) An affidavit cum undertaking (on rupees one hundred only non-judicial stamp paper, duly notarised) by the CEO/MD/authorised employee of the said entity located in India, as per Form–III B along with the authorisation letter mentioned at 2 of Form–III B.

## Form - V

(Refer sub-paragraph (5) of paragraph 3 of Scheme-II)

Our Ref:

Date:

Subject : Licence document

MANUFACTURING UNIT :	<Name of Manufacturer> <Complete address of manufacturer> <e-mail of manufacturer> <Contact number of manufacturer>
----------------------	--

Dear Sir,

1. With reference to your Application, we are pleased to inform you that it has been decided to grant you licence through registration based on self-declaration of conformity as per details given below:

Product :	
IS No or essential requirements notified for the product or both:	
Brand :	
Model(s) :	
Manufacturing Address :	

2. The licence is being granted to the unit located at the address and for the brand and models mentioned at serial no 1 above.
3. The number assigned to this licence is R-<R-Number> which has been made operative from <Registration Date> and is valid upto <Valid upto date> and licence number should invariably be referred to in your future correspondence.
4. The rights and privileges under the licence shall not be exercised by any other factory / organisation at any other location and in the event of shifting of the manufacturing machinery from the registered premises to some other place use of the licence number shall be stopped and BIS shall be informed.
5. The licensee shall comply with the provisions of the Act, rules and regulations framed thereunder and as amended from time to time.
6. The licensee shall follow the guidelines for the use of Standard Mark and labeling requirements as per Annexure.
7. The licensee shall not use the licence in any manner which contravenes the provisions of Act, rules and regulations framed thereunder and as amended from time to time.
8. Upon expiry of validity, stoppage or suspension or cancellation of licence, the licensee shall discontinue forthwith the self-declaration of conformity to the relevant Indian Standard or essential requirements notified for the product or both and withdraw all promotional and advertising matter which contains any reference thereto.
9. \*As per the declaration, <Name of person and designation/Name of entity and address>, is authorised representative and any intended change in the name of the Indian representative ought to be brought to our notice immediately along with requisite fee and document.
10. For renewal of licence, the licensee shall have to apply to BIS three months in advance before expiration of the licence and application form for renewal is available on BIS website.
11. The licence is not transferable.

Thanking you,  
Yours faithfully,

(<Name of the Officer>)  
<Designation>

\* Applicable to foreign manufacturers.

Form - VI  
(Refer sub-paragraph (1) of paragraph 9 of Scheme II)

Application for Renewal of Licence  
(To be issued on company letter head)

The Director General  
Bureau of Indian Standards  
New Delhi

Dear Sir,

I/We \_\_\_\_\_; (Name of manufacturing unit) having office at \_\_\_\_\_ and factory at \_\_\_\_\_

1. We are applying for renewal for a period of five years of the licence number R-XXXXXXXX granted to us under clause (b) of sub-section (2) of section 13 of the Act for use of Standard Mark on articles being manufactured by us conforming to this Indian Standard or essential requirements notified for the product or both.

2. We shall abide by the provisions of the Act, rules and regulations framed thereunder as amended from time to time and all the terms and conditions for continuing with the licence.

3. The details and quantity of article covered under the licence are given overleaf, duly self-attested by the Chief Executive Officer/ Authorised person of the manufacturing unit.

4. Payment Details:

Amount in Rs.	Payment Gateway receipt number	Date of payment receipt	Remarks

5. Application date \_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ two thousand \_\_\_\_\_

Seal of office:

Signature (CEO/Authorised person of manufacturing unit) \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Counter signed by the Indian Representative:

Name of Signatory \_\_\_\_\_ Designation \_\_\_\_\_

Firm's Name \_\_\_\_\_ Address \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_ Mobile No.: \_\_\_\_\_

Telephone/landline No.: \_\_\_\_\_

Note: Renewal application shall be submitted before three months of the expiration of the licence.

Production Report  
(Attachment to Form VI)  
(To be issued on company letter head)

(Reported for the period \*..... to .....)

[\*i) from date of grant of licence to three months before validity date (for first renewal); ii) for the period three months before the last validity date to three months before the current validity date (for subsequent renewals)]

1. Name of Licensee:
2. Licence No.
3. Name of Article (Product):
4. IS No. or essential requirements notified for the product or both:
5. Model Number and Brand Name of the article under scope of the licence:
6. Quantity marked (in numbers) with Standard Mark:
7. Names and addresses of major distributors/ dealers/purchasers of the article:

Declaration

I/We further declare

- (i) That the information given in this declaration are true to the best of my knowledge and belief.
- (ii) If any misleading information has been found in this declaration, the application for renewal of licence shall be liable for rejection which may lead to expiry/cancellation of licence.
- (iii) If the renewal of licence is granted on the basis of information given above, which is found to be incorrect later, the licence shall be liable for cancellation.

Seal of office:

Signature (CEO/Authorised person of manufacturing unit) \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Counter signed by the Indian Representative:

Name of Signatory \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Firm's Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Mobile No.: \_\_\_\_\_

Telephone/landline No.: \_\_\_\_\_

Form - VII  
(Refer sub-paragraph (2) of paragraph 9 of Scheme II)

Our Ref:

Dated:

ID:

Subject : Renewal of licence R-<R-number> as per IS <IS number> or essential requirements notified for the product or both

M/s <Name of the manufacturing unit>  
<Address of manufacturing unit>

Sir/ Madam,

With reference to your application dated <hard copy receipt date> for renewal of the above mentioned licence; this is to inform you that the same has been renewed from <One day after Previous valid upto date> to <Valid upto date>.

It may be noted that the said licence granted under clause (b) of sub-section (2) of section 13 of the Act shall lapse at the end of the period for which it is granted unless renewed or its renewal is deferred. You are, therefore, requested to apply for next renewal to BIS at least three months before the expiration of the licence.

Yours faithfully,

(Name of officer)

<Designation>

Form - VIII A  
(Refer sub-paragraph (1) of paragraph 10 of Scheme II)

Application for Inclusion/Withdrawal of Model(s) from scope of licence  
(To be issued on company letter head)

1. Licence No. :
2. Name of Licensee:
3. Address of Licensee:
4. IS No. or essential requirements notified for the product or both:
5. Product:
6. Brand:
7. Valid upto:
8. Models covered in scope of licence:
9. Inclusion/Withdrawal ID:

10. Models to be included in scope/ withdrawn from scope/ updation of critical component list:

11. Details of test report(s) of the product for inclusion/updation of critical component list applied for:

Sl. No.	Name of Laboratory	Test Report No.	Date of Issue of Test Report	Model Number	Brand

12. Payment Details:

Amount in Rs.	Payment Gateway receipt number	Date of payment receipt	Remarks

13. Manufacture – Does the manufacturing unit have complete manufacturing facility for the product and its models and series for which the licence is applied for? : Yes / No  
(In case 'No', provide details of manufacturing processes outsourced)

14. Testing - Does the manufacturing unit have complete testing facility installed in-house for ascertaining the conformity of product as per Indian Standard or essential requirements notified for the product or both? : Yes / No  
(In case 'No', provide details of the tests for which there is no in-house test facility and how these tests are arranged)

Date:

Place:

Seal of the Manufacturer

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Date of application \_\_\_\_\_

Important: Application should be signed by Chief Executive Officer of the manufacturer producing goods (product manufactured by) or his authorised representative in the manufacturing unit (enclose letter of authorisation).

Counter signature of Authorised Indian Representative (in case of Application from Foreign Manufacturer):

Name of the Organisation, if Branch / Liaison Office is established /Brand Owner/ Any third party nominated as Authorised Indian representative:

\_\_\_\_\_  
Name and Designation of authorised signatory:

Signature and Date \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Telephone No.: \_\_\_\_\_

Mobile No.: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Form - VIII B  
(Refer sub-paragraph (1) of paragraph 10 of Scheme II)

Application for change of other details in the licence  
(To be issued on company letter head)

Application form for intimating			
A. Request for the changes as per details below (Please tick the appropriate)			
1. Change in name of unit (pl see col B below)	Yes	No	proof of change of name to be mandatorily submitted
2. Change in address (pl see col C1 and C2 below)	Yes	No	proof of change of address to be mandatorily submitted
3. Change in management composition (pl see col D below)	Yes	No	proof of change of management to be mandatorily submitted along with the affidavit and nomination , if applicable
4. Division of the firm (pl see col E below)	Yes	No	proof of change of division to be mandatorily submitted
5. Merger or extension of facilities (pl see col F below)	Yes	No	proof of change of merger to be mandatorily submitted
6. Whether submitted for all the registrations in the premises	Yes	No	Should be submitted for all the registrations together
7. Change in authorised Indian representative	Yes	No	Should be submitted for all the registrations together
8. Any other service	Yes	No	Should be submitted for all the registrations together

All Existing Registration Numbers:		
A. Old unit name and address		
B. New manufacturing unit details:		
Manufacturing unit name: (please enclose copy of proof of change)		
C1. New office details: (please enclose copy of proof of change)		
Address 1:		
Address 2:		
Address 3:		
City	State:	
Pin Code:	Country:	
e-mail Id:	Ph. No.:	

C2. New factory details: (please enclose copy of proof of change)			
Address 1:			
Address 2:			
Address 3:			
City		State:	
Pin Code:		Country:	
e-mail Id:		Ph. No.:	
D. Change in management composition: (Name of new CEO/MD/Partners)			
Name 1:			
Name 2:			
Name 3:			

E. Division of the firm (please specify the nature of change and submit applicable supporting documents)			
F. Merger or extension of facilities (please specify the nature of change and submit applicable supporting documents)			
G. Payment details:			
Amount in Rs.	Payment Gateway receipt number	Date of payment receipt	Remarks

H. Declaration: I hereby declare and agree:	
<p>1. That all the information given in this form are true, correct, updated and no information has been withhold/concealed in this respect.</p> <p>2. In case of information is found to be false/incomplete/misleading Bureau of Indian Standards (BIS) shall reserve the rights to reject my request for change of status in case of deficiencies are not cleared by me.</p> <p>3. There has been no other change than the changes indicated above.</p> <p>4. I understand that licence numbers are not transferable and shifting of factory is only allowed.</p> <p>5. I understand it is my responsibility to inform BIS in case of subsequent change of status of the company as may be required by BIS.</p> <p>6. I undertake that there is no change in the manufacturing process/components/manufacturing machinery, test equipments.*</p> <p>7. I hereby certify that I am authorised to verify and sign this declaration.</p>	
Name of CEO/MD/Partners Authorised Signatory	Signature
_____	_____

*(in case there is change kindly provide additional information to BIS separately)
<p>Please note:          Use this form to notify BIS of any updates to information.          This form is available at <a href="http://crsbis.in/BIS/">http://crsbis.in/BIS/</a>.          All changes must be informed to BIS immediately.          Please note that BIS will not be able to process changes to legal entity addresses or that are not accompanied by supporting documents and application form with an original signature.</p>

Form – IX A  
 (Refer sub-paragraph (3) of paragraph 10 of Scheme-II)

Our Ref:

Date:

Inclusion Id: <Incl. ID>

Subject: Inclusion of Additional Model(s)

Manufacturing unit :	<Name of Manufacturing unit> <Address of manufacturing unit> <e-mail ID>      <Telephone No.>
----------------------	---

Dear Sir,

1. This has reference to your request for inclusion of models of '<Product Name>' as per IS <IS Number> or essential requirements notified for the product or both in licence No. R-<R-Number> already granted to you which is valid upto <Valid upto date>.

2. It is intimated that the additional Models as per details given below have been agreed to be included in your scope of licence. R-<R-Number> w.e.f. <Endorsement Date>:

Product	<Product Name>
IS No. or essential requirements notified for the product or both	IS <IS Number> or essential requirements notified for the product or both
Brand	<Brand Name>
Inclusion of Additional Models (w.e.f. < Endorsement Date>)	<Models granted for Inclusion>
Factory Address	<Address of manufacturing unit>

3. Other terms and conditions of the licence shall remain same.

4. This letter is being issued with the approval of competent authority. Kindly acknowledge the receipt of this letter.

Thanking you,

Yours faithfully,  
 (<Name of Officer>)  
 <Designation>

Form – IX B  
(Refer sub-paragraph (3) of paragraph 10 of Scheme II)

Our Ref:

Dated:

Subject: Change in \_\_\_\_\_

MANUFACTURING UNIT:

&lt;Name of Manufacturing unit&gt;

&lt;Address of manufacturing unit&gt;

&lt;e-mail ID&gt;

&lt;Telephone No.&gt;

Dear Sir,

This has reference to BIS licence(s) held by your company as given in the table below and further reference to your request regarding change in \_\_\_\_\_:.

On the basis of documents submitted by the firm, the following changes have been made in the scope of licence:

Licence No.	
Service Request	
Old details	
New details	
Date of decision	

Other terms and conditions of the licence remain the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

(&lt;Name of Officer&gt;)

&lt;Designation&gt;”.

(c) in Scheme-IV,—

(i) in paragraph 5, for sub-paragraph (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that on publication of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Amendment Regulations, 2026 and up to the 31st May, 2029, the concession in fee shall be eighty per cent. in respect of micro enterprises or start-ups, fifty per cent. in respect of small enterprises and twenty per cent. in respect of medium enterprises, and the concession in fee in respect of micro, small and medium enterprises shall be twenty per cent from the 1st day of June, 2029.”;

(ii) for paragraph 8, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“8. Validity of certificate of conformity

(1) The certificate of conformity shall be granted initially for five years.

(2) The certificate of conformity may be renewed for a further period of upto five years.

(3) The requisite fee shall be paid in advance on an annual basis before the due date and in case of non-payment of annual fee alongwith production statement before the due date for which, the provision of regulation 16 shall apply.”;

(iii) in paragraph 11, for sub-paragraph (6), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(6) The Bureau may suspend the certificate of conformity after issuing a notice of twenty-one days and direct its holder to stop use of the certificate of conformity when requisite fee is not paid by the applicant, except for the cases where certificate of conformity shall stand suspended due to non-payment of annual fees for which, the provision of regulation 16 shall apply.”.

(d) in Scheme-VII,—

(i) in paragraph 5, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) The annual certificate of conformity fee for the use of certificate of conformity shall be rupees fifty thousand for large scale industries per year and twenty percent concession for micro small and medium enterprises, which shall be paid in advance on annual basis.”;

(ii) for paragraph 8, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“8. Validity of certificate of conformity

(1) The certificate of conformity shall be granted initially upto five years.

(2) The certificate of conformity may be renewed for a further period upto five years.

(3) The requisite fee shall be paid in advance on an annual basis before the due date and in case of non-payment of annual fee alongwith production statement before the due date for which, the provision of regulation 16 shall apply.

(4) Notwithstanding the fact, anything contained in sub-paragraphs (1), (2) and (3), that the certificate of conformity has been renewed, it shall be deemed cancelled as soon as the specified requirement are amended or revised.”;

(iii) in paragraph 10, for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(3) The Bureau may suspend the certificate of conformity after issuing a notice of twenty-one days and direct its holder to stop use of the certificate of conformity when requisite fee is not paid and the suspension may be revoked on payment of dues by the certificate holder, except for the

cases where certificate of conformity shall stand suspended due to non-payment of annual fees for which the provision of regulation 16 shall apply.”.

(e) in Scheme-IX,—

(i) in paragraph 8, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(1) The licence to use Standard Mark shall be granted initially upto five years.”;

(ii) in paragraph 8, for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(3) The licence to use Standard Mark may be re-certified for a period upto five years and shall be effective from the date specified in the order.”;

(iii) in paragraph 8, for sub-paragraph (5), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(5) The requisite fee shall be paid in advance on an annual basis before the due date. In case of non-payment of annual fee alongwith production statement before the due date for which, the provision of regulation 8 shall apply.”;

(iv) in paragraph 11, for sub-paragraph (6), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(6) The Bureau may suspend the licence after issuing a notice of twenty-one days and direct the licensee not to use Standard Mark on its product when necessary fee and other charges are not paid and such suspension may be revoked on receipt of the dues, except for the cases where licence shall stand suspended due to non-payment of annual fees for which, the provision of regulation 8 shall apply.”.

(f) in Scheme-X,—

(i) in paragraph 8, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(1) The licence shall be granted initially upto five years.”;

(ii) in paragraph 8, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) The licence may be renewed for a further period upto five years.”;

(iii) in paragraph 8, after sub-paragraph (4), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

“(5) The requisite fee shall be paid in advance on an annual basis before the due date. In case of non-payment of annual fee alongwith production statement before the due date for which, the provision of regulation 8 shall apply.”.

ALKA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./711/2025-26]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4 vide F.No. BS/11/11/2018 dated the 4th June, 2018 and lastly amended vide notification F.No. BS XI/11/01/2024, dated the 23rd August 2024.